



INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल



भाग – 1

राजस्थान का सामान्य ज्ञान (GK) + महिला एवं बाल अपराध

प्रस्तावना

प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को राजस्थान में आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा “राजस्थान पुलिस कांस्टेबल” में पूर्ण संभव मदद करेंगे /

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं

प्रकाशक:

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : <http://www.infusionnotes.com>

WhatsApp करें - <https://wa.link/bdirzx>

Online Order करें - <https://shorturl.at/xceN2>

मूल्य : ₹

संस्करण : नवीनतम

<u>राजस्थान का इतिहास</u>		
क्र.सं.	अध्याय	पेज नंबर
1.	प्राचीन सभ्यताएं	1
2.	प्रमुख राजवंश <ul style="list-style-type: none"> • गुर्जर प्रतिहार वंश • गुहिल वंश • चौहान वंश • राजस्थान के परमार वंश • कछवाहा राजवंश • बीकानेर के वंशज • किशनगढ़ का राठौड़ वंश • मराठों का राजस्थान में प्रवेश 	7
3.	राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन	45
4.	राजनीतिक जागरण	58
5.	प्रजामण्डल आंदोलन	63
6.	राजस्थान का एकीकरण	73
7.	राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व	77
<u>कला एवं संस्कृति</u>		
1.	राजस्थान के प्रमुख मंदिर	80
2.	राजस्थान की प्रमुख मस्जिदें, किले, महल, छतरीयां	91

3.	चित्रकला और हस्तशिल्प	110
4.	भाषा एवं साहित्य व बोलियाँ	125
5.	वेशभूषा एवं आभूषण	128
6.	वाद्य यंत्र	130
7.	लोक देवता एवं लोक देवियाँ	137
8.	मेले और त्यौहार	144
9.	लोक संगीत	155
10.	लोक नृत्य	160
11.	धार्मिक जीवन, धार्मिक समुदाय	169
	<u>राजस्थान का भूगोल</u>	
1.	भूगर्भिक संरचना एवं भू-आकृतिक प्रदेश	177
2.	जलवायु दशाएँ, मानसून तंत्र एवं जलवायु प्रदेश	201
3.	प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव - वन्तु एवं अभयारण्य	208
4.	मृदाएँ	216
5.	नदियाँ, झीलें एवं बाँध	218
6.	राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन खनिज सम्पदा	237

7.	पशु सम्पदा	244
8.	जनसंख्या-वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, एवं लिंगानुपात	252
9.	प्रमुख जनजातियाँ	256
10.	राजस्थान में पर्यटन	259
<u>राजस्थान की अर्थव्यवस्था</u>		
1.	राजस्थान की खाद्य व व्यावसायिक फसलें, कृषि आधारित उद्योग	262
2.	अर्थव्यवस्था का बृहत् परिदृश्य	267
3.	राजस्थान में औद्योगिक विकास	271
4.	गरीबी एवं बेरोजगारी	278
5.	विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं	284
<u>राजस्थान की राजव्यवस्था</u>		
1.	राज्य की राजनीतिक व्यवस्था (परिचय) राज्यपाल	288
2.	मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद्	294
3.	राज्य विधानसभा	300
4.	उच्च न्यायालय	307
5.	राजस्थान लोक सेवा आयोग	314

6.	लोकायुक्त	316
7.	राज्य निर्वाचन आयोग	319
8.	राज्य सूचना आयोग	320
9.	राज्य मानवाधिकार आयोग	323
10.	राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव	325
11.	जिला प्रशासन	329
12.	स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज संस्था	333
13.	महिला एवं बाल अपराध	342

राजस्थान का इतिहास

अध्याय - 1

प्राचीन सभ्यताएं

कांश्ययुगीन सभ्यताएं

कालीबंगा की सभ्यता - कालीबंगा की सभ्यता एक नदी के किनारे बसी हुई थी। नदी का नाम है - **सरस्वती नदी** इसे **द्रेषनदी, मृतनदी, नटनदी** के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में विकसित हुई थी हनुमानगढ़ जिले में एक अन्य सभ्यता जिसे **पीलीबंगा** की सभ्यता कहते हैं विकसित हुई।

इस सभ्यता की खोज - इस सभ्यता की सबसे पहले जानकारी देने वाले एक पुरातत्ववेत्ता एवं भाषा शास्त्री एल.पी. टेस्मिटेरी थे। इन्होंने ही इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले परिचय दिया लेकिन इस सभ्यता की तरफ किसी का पूर्ण रूप से ध्यान नहीं था इसलिए इसकी खोज नहीं हो पाई।

- इस सभ्यता के खोजकर्ता **अमलानंद घोष** हैं। इन्होंने 1952 में सबसे पहले इस सभ्यता की खोज की थी।
- इनके बाद में इस सभ्यता की खोज दो अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी की गई थी जो 1961 से 1969 तक चली थी।

1. **बृजवासीलाल (बी.बी. लाल)**

2. **बीके (बालकृष्ण) थापर**

इन्हीं दोनों ने इस सभ्यता की विस्तृत रूप से खोज की थी **एल.पी. टेस्मिटेरी के बारे में -**

- ये इटली के निवासी थे। इनका जन्म सन् 1887 में हुआ। और यह अप्रैल 1914 ईस्वी में भारत मुंबई आए। जुलाई 1914 में यह जयपुर (राजस्थान) आये। बीकानेर राज्य इनकी कर्म स्थली रहा है।
- इस सभ्यता का कालक्रम **कार्बन डेटिंग पद्धति** के अनुसार 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है।
- कालीबंगा शब्द "सिंधीभाषा" का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है - "**काले रंग की चूड़िया**"। इस स्थल से काले रंग की चूड़ियों के बहुत सारी ढेर प्राप्त हुए इसलिए इस सभ्यता को कालीबंगा सभ्यता नाम दिया गया।
- कालीबंगा की सभ्यता भारत की ऐसी पहली सभ्यता स्थल है जो **स्वतंत्रता के बाद खोजी** गई थी। यह एक **कांश्य युगीन सभ्यता** है।
- हनुमानगढ़ जिले से इस सभ्यता से संबंधित जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा **1985-86 में कालीबंगा संग्रहालय** की स्थापना की गई थी। यह संग्रहालय **हनुमानगढ़ जिले** में स्थित है।

इस सभ्यता की विशेषताएं -

- इस सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को **समकोण** पर काटती थी इसलिए यहाँ पर मकान बनाने की पद्धति को "**ऑक्सफोर्ड पद्धति**" कहते हैं। इसी पद्धति को '**जाल पद्धति, ग्रीक, चेम्सफोर्ड पद्धति**' के नाम से भी जानते हैं।
 - मकान कच्ची एवं पक्की ईंट के बने हुए थे, आरम्भ में ये कच्ची ईंटें थीं इसलिए इस सभ्यता को दीन हीन सभ्यता भी कहते हैं। इन ईंटों का आकार $30 \times 15 \times 7.5$ है।
 - इन मकानों की खिड़की एवं दरवाजे पीछे की ओर होते थे
 - यहाँ पर जो नालियाँ बनी हुई थी वह लकड़ी (काष्ठ) की बनी होती थी। आगे चलकर इन्हीं नालियों का निर्माण पक्की ईंटों से होता था।
- (विश्व में एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ लकड़ियों की बनी नालियाँ मिली हैं वह कालीबंगा स्थल है) **(परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण)**
- विश्व की प्राचीनतम **जुते हुए खेत** के प्रमाण इसी सभ्यता से मिले हैं।
 - यहाँ पर मिले हुए मकानों के अंदर की दीवारों में दरारें मिलती हैं इसलिए माना जाता है कि विश्व में प्राचीनतम भूकंप के प्रमाण यहीं से प्राप्त होते हैं।
 - यहाँ के लोग एक साथ में **दो फसलें** करते थे अर्थात् फसलों के होने के प्रमाण भी यहीं से मिलते हैं **जौ और गेहूँ**।
 - यहाँ पर उत्खनन के दौरान **यज्ञकुंड / अग्नि वेदिकाएं** प्राप्त हुए हैं यहाँ के लोग **बलिप्रथा** में भी विश्वास रखते थे।
 - इस सभ्यता का पालतू जीव **कुत्ता** था। इस सभ्यता के लोग **ऊँट** से भी परिचित थे इसके अलावा **गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा** से भी परिचित थे।
 - विश्व में प्राचीनतम नगर के प्रमाण यहीं पर मिले हैं इसलिए इसे **नगरीय सभ्यता** भी कहते हैं यहाँ पर मूर्तिपूजा, देवी / देवता के पूजन, चित्रांकन या मूर्ति का कोई प्रमाण नहीं मिला है।
 - यहाँ पर समाधि प्रथा का प्रचलन था। यहाँ पर **समाधि तीन प्रकार** की मिलती है अर्थात् तीन प्रकार से मृतक का अंतिम संस्कार किया जाता था
 - अंडाकार गड्ढा खोदकर व्यक्ति को दफनाना। इस गड्ढे में व्यक्ति का सिर उत्तर की ओर पैर दक्षिण की ओर होते थे।
 - अंडाकार गड्ढा खोदकर व्यक्ति को तोड़ मरोड़ कर इकट्ठा करके दफनाना।
 - एक गड्ढा खोदकर व्यक्ति के साथ आभूषण को दफनाना।
 - **स्वास्तिक चिह्न** का प्रमाण इसी कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होता है इस स्वास्तिक चिह्न का प्रयोग यहाँ के लोग वास्तुदोष को दूर करने के लिए करते थे।
 - कालीबंगा की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता की **समानता** के प्रमाण **बेलनाकार बर्तन** में मिलते हैं।
 - यहाँ पर एक **कपाल** मिला है जिसमें **छः प्रकार के छेद** थे। जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग

शल्य चिकित्सा से परिचित थे अर्थात् शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण इसी सभ्यता से मिले हैं।

- यहाँ पर एक सिक्का प्राप्त हुआ है जिसके एक ओर स्त्री का चित्र है तथा दूसरी ओर **चीता** का चित्र बना हुआ है अर्थात् अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर परिवार की **मातृसत्तात्मक प्रणाली** का प्रचलन था।
- कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की **तीसरी राजधानी** कहा जाता है।
- कालीबंगा सभ्यता में पुरोहित का प्रमुख स्थान होता था।
- इस सभ्यता के लोग मध्य एशिया से व्यापार करते थे, इसका प्रमाण **सामूहिक तंदूर** से मिलता है क्योंकि तंदूर मध्य-एशिया से संबंधित है।
- इस सभ्यता के भवनों का **फर्श सजावट** एवं अलंकृत के रूप में मिलता है।

मृतक संस्कार : कालीबंगा के निवासियों की **तीन प्रकार की समाधियाँ (कब्रें)** मिली हैं।

- शवों को अण्डाकार गड्ढे में उत्तर की ओर सिर रखकर मृत्यु संबंधी उपकरणों के साथ गाड़ते थे।
- दूसरे प्रकार की समाधियों में **शव की टाँगें समेटकर** गाड़ा जाता था।
- तीसरे प्रकार में शव के साथ बर्तन और एक-एक सोने व मणि के दाने की माला से विभूषित कर गाड़ा जाता था।
- उत्खनन में जो शवाधान प्राप्त हुए हैं उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे मृत्युपरांत किसी न किसी प्रकार का विश्वास अवश्य रखते थे, क्योंकि मृतकों के साथ खाद्य सामग्री, आभूषण, मनके, दर्पण तथा विभिन्न प्रकार के मृदभाण्ड आदि रखे जाते थे।
- यहाँ मोहनजोदड़ो की भाँति लिंग, मातृशक्ति आदि की **मूर्तियाँ** नहीं मिली हैं, जिससे यहाँ के निवासियों की धार्मिक भावना का पता नहीं चल पाया है। यहाँ की **लिपि दाँये से बाँये** लिखी प्रतीत होती है साथ ही अक्षर एक-दूसरे के ऊपर खुदे हुए प्रतीत होते हैं।

आर्थिक जीवन : कालीबंगा के निवासी भेड़-बकरी, गाय, भैंस, बैल, भैंसा तथा सुअर आदि पशुओं को पालते थे। कालीबंगा के निवासी ऊँट भी पालते थे। कुत्ता भी उनका पालतू जीव था।

- वे जौ और गेहूँ की खेती करते थे। हल लकड़ी के रहे होंगे। सिंचाई के लिए नदी जल एवं वर्षा पर निर्भर थे। कालीबंगा के कृषक निश्चय ही 'अतिरिक्त उत्पादन' करते थे।
- हड़प्पा सभ्यता के नगरों को समृद्धि का प्रमुख कारण व्यापार एवं वाणिज्य था। यह जल एवं स्थल दोनों मार्गों से होता था। **लोथल (गुजरात)** इस सभ्यता में तत्कालीन युग का एक महत्वपूर्ण **सामुद्रिक व्यापारिक केन्द्र** था।
- कालीबंगा से मुख्यतः हड़प्पा संस्कृति के मुख्य केन्द्रों को अनाज, मनके तथा ताँबा भेजा जाता था।
- ताँबे का प्रयोग, अस्त्र-शस्त्र तथा दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले उपकरण, बर्तन एवं आभूषण बनाने में होता था।

- स्थानीय उद्योग पर्याप्त विकसित थे। **कुंभकार का मृदभाण्ड उद्योग** अत्यन्त विकसित था।
- वह विभिन्न प्रकार के मृदभाण्ड चाक पर बनाता था, जिन्हें भट्टों में अच्छी तरह पकाया जाता था। मृदभाण्डों में मुख्यरूप से मर्तबान, कलश, बीकर, टस्तरियाँ, प्याले, टोटीदार बर्तन, डिद्रित भाण्ड एवं थालियाँ शामिल हैं। हस्त निर्मित कुछ बड़े मृदभाण्ड भी प्राप्त हुए हैं जो संभवतः अन्न आदि संग्रह हेतु काम में लिए जाते थे।
- इन मृदभाण्डों पर **काले एवं सफेद** वर्णकों से चित्रण भी किया जाता था, जिसमें आड़ी-तिरछी रेखाएँ, लूप, बिन्दुओं का समूह, वर्ग, वर्ग जालक, त्रिभुज, तरंगाकार रेखाएँ अर्द्धवृत्त, एक-दूसरे को काटते वृत्त, शल्कों का समूह आदि के प्रारूपण प्रमुख हैं।
- बड़े बर्तनों पर '**कुरेदकर**' भी **अलंकरण** किया गया है। किन्हीं-किन्हीं मृदपात्रों पर 'ठप्पे' भी लगे हुए मिले हैं और किसी-किसी पर तत्कालीन लिपि में लिखे लेख भी प्राप्त हुए हैं। उत्खनन में विभिन्न प्रकार की मुद्राएँ (मोहरें), मूर्तियाँ, चूड़ियाँ, मनके, औजार आदि से ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता कालीन कालीबंगा समाज में शिल्पकला का उचित स्थान रहा है।
- स्त्रियाँ कानों में कर्णाभरण, कर्णफूल, बालियाँ आदि पहनती थी एवं बालों में पिनों का प्रयोग करती थी गले में मनकों के हार धारण करती थी।
- हाथों में शंख, मिट्टी, ताम्र एवं **सेलखड़ी** से निर्मित चूड़ियाँ धारण करती थी। अंगुलियों में अंगूठी पहनती थी (एक शव के साथ ताम्र-दर्पण एवं कान के पास कुण्डल भी मिला है।
- स्पष्टतया कालीबंगा निवासी **प्रसाधन प्रेमी** थे।
- कालीबंगा उत्खनन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह भी है कि इसने सैन्धव लिपि की पहचान करने के प्रयास में एक ठोस दिशा-निर्देश प्रस्तुत किया है।
- पाकिस्तान में 'कोटदीजी' स्थान पर प्राप्त पुरातात्विक अवशेष कालीबंगा के अवशेषों से काफी मिलते - जुलते हैं। (**परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।**)
- सिन्धु-सरस्वती सभ्यता का विनाश: संभवतः भूकम्प या भूगर्भीय व जलवायु के परिवर्तन के कारण इस समृद्ध नगरीय सभ्यता के केन्द्र का नाश हो गया था। जो समुद्री हवाएँ पहले इस ओर नमी-युक्त बहती थीं, वे हवाएँ कच्छ के रण से गुजर कर सूखी चलने लगी।
- संभवतया इसीलिए यह क्षेत्र धीरे-धीरे रेत का समुन्द्र बन गया।
- इस क्षेत्र में बहने वाली सरस्वती नदी का जो वर्णन हमें पुराणों में मिलता है, वह धीरे-धीरे रेत के समुन्द्र में लुप्त हो गई। भूकम्प के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं मिलते हैं।

आहड़ सभ्यता

- इस सभ्यता का विकास राजस्थान के **उदयपुर जिले में स्थित आहड़ नामक** स्थान पर हुआ अर्थात् इस सभ्यता का सर्वप्रथम प्रमाण आहड़ नामक स्थान पर हुए उत्खनन से प्राप्त हुए थे।

		बणेश्वर (डूंगरपुर), नन्दलालपुरा, किराडोत, चीथबाडी (कोटपूतली-बहरोड़), कुराड़ा (परबतसर तहसील, डीडवाना-कुचामन), पलाना (जालौर), मलाह (भरतपुर), कोलमाहौली (सवाईमाधोपुर)
6.	लौह युगीन	नोह (भरतपुर), सुनारी (खेतड़ी, नीमकाथाना), विराटनगर (कोटपूतली-बहरोड़), जोधपुरा (कोटपूतली-बहरोड़), सांभर (जयपुर ग्रामीण), रैंड, नगर, नैणवा, भीनमाल (जालौर), नगरी (चित्तौड़गढ़), चक-84, तखानवाला (अनूपगढ़), ईसवाल (उदयपुर)

- बागौर - भीलवाड़ा
- कालीबंगा - हनुमानगढ़
- खोजकर्ता - अमलानंद घोस
- आहड़ - (उदयपुर)- अक्षयकीर्ति व्यास
- बैराठ - (कोटपूतली-बहरोड़)- दयाराम साहनी 1936-37 में
- गणेश्वर (नीमकाथाना)- रत्नचंद्र अग्रवाल द्वारा उत्खनन, ताम्रयुगीन सभ्यता
- गिलुण्ड (राजसमंद)- बी.बी. लाल
- रंगहमल (हनुमानगढ़) - डॉ. ध्वारिड द्वारा उत्खनन
- ओझियाणा (ब्यावर)- B.R. मीणा द्वारा उत्खनन
- नगरी (चित्तौड़) - डॉ. डी. आर. भण्डारकर
- सुनारी (खेतड़ी, नीमकाथाना)- लोहा गलाने की प्राचीन भट्टिया
- जोधपुर (कोटपूतली-बहरोड़)-R.C. अग्रवाल द्वारा उत्खनन
- तिलवाड़ा (बालोतरा)- V.N. मिश्र
- रैंड (Tonk)- दयाराम साहनी
- नगर (जयपुर ग्रामीण) - कृष्ण देव
- भिनमाल (जालौर)- रतनचंद्र अग्रवाल
- नोह (भरतपुर)- रतनचंद्र अग्रवाल

लेखक

- करणीदान
- दोलतविजय
- पद्मनाभ
- जगजीवन भट्ट
- ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान
- पृथ्वीराज विजय
- वंशभास्कर

ग्रंथ

- सूख प्रकाश
- खुमानरासो
- कान्हड़दे प्रबंध
- अजितोदय
- रीमा हूजा
- जयानक
- सूर्यमल मिश्रण

अभ्यास प्रश्न

1. "ए सर्वे वर्क ऑफ एनशिप्ट साइंट्स अलोग दी लोस्ट सरस्वती रिवर" किसका कार्य था ?
(a) एम. आर. मुगल (b) ओरैल स्टैन
(c) हरमन गोइट्ज (d) वी. एन. मिश्रा
उ- b

2. प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे बसी राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता कौनसी है ?
(a) कालीबंगा (b) आहड़
(c) गिलुण्ड (d) गणेश्वर उ- a
3. निम्नांकित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है ?
(a) जी. एच. ओझा (b) श्यामल दास
(c) दशरथ शर्मा (d) दयाराम साहनी
उ- c
4. राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं ?
(a) नागौर (b) गिलुण्ड
(c) आहड़ (d) गणेश्वर उ- d
5. प्राचीन भारत के टाटानगर के नाम से विख्यात सभ्यता है ?
(a) तिलवाड़ा (b) नलियासर
(c) जोधपुरा (d) रैंड उ- d
6. मालव सिक्के व आहत मुद्राएँ किस सभ्यता के अवशेष हैं ?
(a) जोधपुरा (b) रैंड
(c) नगर (मालव नगर) (d) नलियासर उ- c
7. कान्तली नदी के किनारे स्थित गणेश्वर की सभ्यता का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ ?
(a) आर.सी. अग्रवाल व एच.एम. साँकलिया
(b) आर.सी. अग्रवाल व अमलानंद घोष
(c) आर.सी. अग्रवाल व विजयकुमार
(d) आर.सी. अग्रवाल व अक्षय कीर्ति व्यास उ- C
8. इनमें से कौनसा स्थल लौहयुगीन सभ्यता से सम्बन्धित नहीं है ?
(a) डेरा (b) जोधपुरा
(c) विराटनगर (d) आहड़ उ- D
9. निम्न में से कौन कालीबंगा सभ्यता से सम्बन्धित नहीं है-
(a) अमलानंद घोष (b) बी.बी. लाल
(c) बी.के. थापर (d) आर.सी. अग्रवाल
उ- D
10. एक घर में एक साथ छः चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल में प्राप्त हुए हैं?
(a) कालीबंगा (b) आहड़
(c) गिलुण्ड (d) बागौर उ- b

अध्याय - 5

प्रजामण्डल आंदोलन

प्रजामण्डल

- 1927 ई. में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद् की स्थापना के साथ ही सक्रिय राजनीति का काल आरम्भ हुआ।
- कांग्रेस का समर्थन मिल जाने के बाद इसकी शाखायें स्थापित की जाने लगी।
- 1931 ई. में रामनारायण चौधरी ने अजमेर में देशी राज्य लोक परिषद् का प्रथम प्रान्तीय अधिवेशन आयोजित किया।
- 1938 ई. में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर देशी रियासतों के लोगों द्वारा चलाये जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम को नैतिक समर्थन दिया।

बीकानेर में प्रजामण्डल - बीकानेर के महाराजा गंगासिंह प्रतिक्रियावादी व निरंकुश शासक थे।

- गंगासिंह (1880-1943) प्रथम भरतपुर के बाद शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले एकमात्र भारतीय प्रतिनिधि व 1921 में स्थापित नरेन्द्र मण्डल के संस्थापकों में से एक थे।
- बीकानेर क्षेत्र के प्रारंभिक नेता कन्हैयालाल दूँद व स्वामी गोपालदास थे, इन्होंने 1907 में चूरू में सर्वहितकारिणी सभा स्थापित की।
- सर्वहितकारिणी सभा ने चूरू में लड़कियों की शिक्षा हेतु 'पुत्री पाठशाला' व अनुसूचित जातियों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला स्थापित की गई। महाराजा इस रचनात्मक कार्य के प्रति भी आशंकित हो उठे और षड़यंत्र बताकर उन्हें प्रतिबंधित कर दिया।
- 26 जनवरी 1930 को स्वामी गोपालदास व चन्दनमल ब्राह्मण ने सहयोगियों के साथ चूरू के सर्वोच्च शिखर धर्मस्तूप पर तिरंगा फहराया।
- अप्रैल, 1932 ई. में जब लंदन में महाराजा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गये तो बीकानेर में एक दिग्दर्शन नामक पेम्पलेट बांटे गये। जिसमें बीकानेर की वास्तविक दमनकारी नीतियों का खुलासा किया गया। लौटकर महाराजा ने सार्वजनिक सुरक्षा कानून लागू किया।
- स्वामी गोपालदास, चंदनमल बहड़, सत्यनारायण सर्राफ, खूबचन्द सर्राफ आदि को बीकानेर षड़यंत्र केस के नाम पर गिरफ्तार कर लिया गया।
- अक्टूबर, 1936 में मधाराम वैध ने कलकत्ता में बीकानेर प्रजामण्डल की स्थापना की।
- 4 अक्टूबर, 1936 ई. को प्रमुख नेता शीघ्र ही निर्वाचित कर दिये गये, जिनमें वकील मुक्ताप्रसाद, मधाराम वैध व लक्ष्मीदास शामिल थे। रघुवरदयाल ने 22 जुलाई, 1942 ई. को बीकानेर प्रजा ने परिषद् की स्थापना की, जिसका उद्देश्य महाराजा के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था।

- 1943 में गंगासिंह जी की मृत्यु के बाद शादुल सिंह गद्दी पर बैठे। वे भी दमन में विश्वास रखते थे।
 - द्वारका प्रसाद नामक छठी कक्षा के बालक को संस्था से निकाला गया क्योंकि उसने उपस्थिति गणना के समय जयहिन्द बोल दिया था।
 - 26 अक्टूबर, 1944 ई. को बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया जो राज्य में प्रथम सार्वजनिक प्रदर्शन था। इसी बीच भारत में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं और महाराजा ने उत्तरदायी शासन की घोषणा की।
 - 30 जून, 1946 ई. में रायसिंह नगर में हो रहे प्रजा परिषद् के सम्मेलन में पुलिस ने गोलीबारी की। बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए सत्ता हस्तान्तरण के लक्षण जब दिखने लगे तो प्रजा परिषद् का कार्यालय पुनः स्थापित किया गया।
 - 1946 ई. में ही दो समितियों, संवैधानिक समिति व मताधिकार समिति की स्थापना की गई। रिपोर्ट को लागू करने का आश्वासन तो दिया गया पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो पाई व उत्तरदायी शासन की मांग अधूरी ही रही।
 - 16 मार्च, 1948 ई. में जसवंत सिंह दाउदसर के नेतृत्व में मंत्रिमण्डल बना जिसे प्रजा परिषद् ने अस्वीकृत कर दिया और उसके मंत्रियों ने इस्तीफा दिया।
 - 30 मार्च, 1949 ई. को वृहत्तर राज्य के निर्माण के साथ रघुवर दयाल, हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमण्डल में सम्मिलित हुए।
- जैसलमेर में प्रजामण्डल** - यह क्षेत्र राजस्थान का सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र था, जो विस्तारित रेगिस्तान, यातायात संचार के सीमित साधनों व राजनीतिक पृथक्ता के कारण शेष राजस्थान से कटा ही रहा।
- यहाँ के महाराज का दमन अत्यन्त तीव्र था। जिसके कारण 1915 ई. में सर्व हितकारी वाचनालय मीठालाल व्यास के आशीर्वाद से सागरमल गोपा व उसके साथियों द्वारा स्थापित किया गया।
- मेवाड़ में प्रजामण्डल** - उदयपुर में प्रजामण्डल आंदोलन की स्थापना का श्रेय श्री माणिक्यलाल वर्मा को जाता है। 24 अप्रैल, 1938 को श्री बलवन्तसिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामण्डल की स्थापना की।
- प्रजामण्डल की स्थापना के समाचारों से मेवाड़ की जनता में अभूतपूर्व उत्साह का संचार हुआ, परन्तु जैसे ही मेवाड़ सरकार को इसकी सूचना मिली, सरकार ने श्री वर्माजी को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया तथा बिना सरकार से आज्ञा लिए सभा, समारोह करने संस्थाएँ बनाने एवं जुलूस निकालने पर प्रतिबन्ध लगा दिया।
 - उदयपुर सरकार द्वारा मेवाड़ प्रजामण्डल को 24 सितम्बर, 1938 को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया, परन्तु उसी दिन नाथद्वारा में निषेधाज्ञा के बावजूद कार्यकर्ताओं द्वारा विशाल जुलूस निकाला गया।

1919 ईस्वी में भोगीलाल पंड्या ने "आदिवासी छात्रावास" की स्थापना कर जनचेतना फैलाने का प्रयास किया। 1929 में गौरी शंकर उपाध्याय ने "सेवाश्रम" स्थापित कर खादी का प्रचार किया तथा वैचारिक क्रांति फैलाने के लिए हस्तलिखित "सेवक" समाचार पत्र प्रकाशित किया।

- 1935 ईस्वी में ठक्कर बापा की प्रेरणा से भोगीलाल पंड्या ने "हरिजन सेवा संघ" की स्थापना की। 1935 ईस्वी में ही शोभा लाल गुप्ता के नाम से आश्रम खोला। माणिक्य लाल वर्मा ने 1935 ईस्वी में इंगरपुर में "खाँडलाई आश्रम" स्थापित कर भीलों में शिक्षा का प्रसार किया।
- 1935 ईस्वी में माणिक्य लाल वर्मा, भोगीलाल पंड्या और गौरी शंकर उपाध्याय ने "बागड़ सेवा मंदिर" की स्थापना कर जनजागृति की। 1938 ईस्वी में भोगीलाल पंड्या ने "इंगरपुर सेवा संघ" की स्थापना कर जनजातियों में जनचेतना जारी रखी।
- 26 जनवरी, 1944 ईस्वी को भोगीलाल पंड्या ने "इंगरपुर प्रजामण्डल" की स्थापना की। हरिदेव जोशी, गौरी शंकर उपाध्याय एवं शिवलाल कोटड़िया इसके संस्थापक सदस्यों में से थे।
- अप्रैल, 1946 में इंगरपुर प्रजामण्डल का प्रथम अधिवेशन भोगीलाल पंड्या के नेतृत्व में हुआ। जिसमें अन्य कार्यकर्ताओं के अलावा पंडित हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, और जुगल किशोर चतुर्वेदी ने भाग लिया।
- 20 जून, 1947 को सेवा संघ द्वारा संचालित रास्तापाल की पाठशाला के अध्यापक सेंगाभाई के साथ क्रूर व्यवहार किया गया और उसे बचाने आये पाठशाला के संरक्षक नाना भाई खाँट और छात्रा भील बालिका काली बाई की गोली मारकर हत्या कर दी।
- दिसंबर, 1947 में महारावल इंगरपुर ने राज्य प्रबंध कारिणी सभा की स्थापना की, जिसमें गौरी शंकर उपाध्याय व भीखा भाई को प्रजामण्डल प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित किया गया।

बाँसवाड़ा प्रजामण्डल - बाँसवाड़ा में हरिदेव जोशी मणिक्य लाल वर्मा, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, लक्ष्मण दास, धूलजी भाई आदि द्वारा खादी प्रचार, हरिजनोद्धार, एवं भीलों की दशा सुधारने का कार्य किया गया। बाँसवाड़ा में "चिमनलाल मालोत" द्वारा 1930 ईस्वी में "शांत सेवा कुटीर" की स्थापना की गई और "सूर्योदय पत्रिका" का प्रकाशन कर जनचेतना फैलाने का प्रयास किया गया।

- भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने धूल जी, मोतीलाल जाड़िया, चिमनलाल, सिद्धि शंकर आदि के साथ मिलकर दिसंबर, 1946 ईस्वी में बाँसवाड़ा प्रजामण्डल की स्थापना की इसका अध्यक्ष विनोद चंद्र कोठारी को बनाया गया।
- धीरे-धीरे प्रजामण्डल में आदिवासी भी सक्रिय भाग लेने लगे। इनमें प्रमुख थे चिप के दीला भगत, छोटी सरकारान के सेवा मछार, छोटी तेजपुर के दीपा भगत आदि प्रजामण्डल के सहयोगी संगठनों के रूप में महिला मण्डल, विद्यार्थी कांग्रेस और स्वयंसेवक दल का गठन किया गया।

- फरवरी, 1946 के तीसरे सप्ताह में नगर से बाहर सभा का आयोजन किया गया, लोगों ने धारा 144 का उल्लंघन करते हुए, 24 फरवरी, 1946 को प्रधानमंत्री मोहन सिंह मेहता के बंगले को घेर लिया। उपयुक्त आंदोलन में महिला संगठन के नेतृत्व में स्त्रियों ने भी 144 धारा तोड़कर जुलूस निकाला।
- फरवरी 1947 में प्रजामण्डल का अधिवेशन हुआ, जिसमें राज्य में उत्तरदाई शासन की स्थापना करने की मांग की गई। महारावल में व्यवस्थापिका का चुनाव करवाकर मंत्रिमण्डल का गठन किया।
- 1948 ईस्वी में उपेंद्र त्रिवेदी के नेतृत्व में उत्तरदाई सरकार की स्थापना की गई। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी-मुख्यमंत्री, मोहनलाल त्रिवेदी-विकास मंत्री, नटवर लाल भट्ट-राजस्व मंत्री और चतर सिंह को जागीरदारों के प्रतिनिधि के रूप में लिया गया।
- परन्तु यह मंत्रिमंडल 48 दिन तक ही कार्यरत रहा। राजस्थान के एकीकरण के समय, महारावल ने पुनः शक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया, परन्तु प्रजामण्डल ने उसके प्रयास विफल कर दिए और बाँसवाड़ा का राजस्थान संघ में विलय हो गया।

प्रतापगढ़ प्रजामण्डल - प्रतापगढ़ में 1931-32 में स्वदेशी वस्त्र, खादी प्रचार और मद्यनिषेध का प्रचार-प्रसार कर जनजागृति फैलाई थी। इसके लिए मास्टर रामलाल, राधावल्लभ सोमानी, रतन लाल के नेतृत्व में प्रतापगढ़ में आंदोलन किया गया।

- प्रतापगढ़ में जनजागृति फैलाने का मुख्य कार्य अमृत लाल पायक ने किया था। हरिजन उत्थान के लिए ठक्कर बप्पा की प्रेरणा से 1936 में अमृत लाल पायक ने प्रतापगढ़ में हरिजन पाठशाला की स्थापना की थी।
- 1945 में चुन्नी लाल प्रभाकर और अमृत लाल पायक के नेतृत्व में प्रतापगढ़ प्रजामण्डल की स्थापना की गई। 1947 को महारावल ने प्रतापगढ़ में लोकप्रिय मंत्री मण्डल के गठन की घोषणा की। 2 मार्च 1948 में प्रजामण्डल के 2 प्रतिनिधि माणिक्य लाल और अमृत लाल पायक मंत्रिमण्डल में ले लिए गए।
- 25 मार्च 1948 को प्रतापगढ़ भी राजस्थान संघ का अंग बन गया।

किशनगढ़ प्रजामण्डल :- किशनगढ़ में कांति लाल चौथानी ने 1930 में उपचारक मण्डल की स्थापना की थी। किशनगढ़ राज्य में श्री कांति लाल चौथानी के प्रयासों से 1939 में प्रजामण्डल की स्थापना की गई। इस प्रजामण्डल का अध्यक्ष श्री जमाल शाह को बनाया गया और इसका मंत्री महमूद को बनाया गया था।

राज्य की ओर से प्रजामण्डल की स्थापना का कोई विरोध नहीं किया गया। 1942 में किशनगढ़ प्रजामण्डल ने चुनाव लड़ा और बहुमत प्राप्त किया। महाराजा किशनगढ़ ने 15 अगस्त 1947 से पूर्व एक संधि-पत्र पर हस्ताक्षर कर

किशनगढ़ को भारतीय संघ का एक अंग बना दिया था।
किशनगढ़ भी 1948 में राजस्थान संघ में विलय हो गया था।

अभ्यास प्रश्न

1. अजमेर-मेरवाड़ा का राजस्थान में कब विलय हुआ ?
(a) 1 नवम्बर, 1956 (b) 8 नवम्बर, 1948
(c) 10 अप्रैल, 1952 (d) 2 जनवरी, 1955
उत्तर :- (a)
2. निम्न में वे रियासतें, जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थीं-
(a) धौलपुर व जैसलमेर
(b) जयपुर व जोधपुर
(c) जैसलमेर व बीकानेर
(d) धौलपुर व करौली
उत्तर :- (d)
3. 15 मई, 1949 को गठित संयुक्त वृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री थे -
(a) जयनारायण व्यास
(b) माणिक्य लाल वर्मा
(c) शोभाराम कुमावत
(d) हीरालाल शास्त्री
उत्तर :- (d)
4. राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी के मुद्दे को सुलझाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था-
(a) नगेन्द्र सिंह
(b) वी. पी. मेनन
(c) के. एम. मुंशी
(d) बी. आर. पटेल
उत्तर :- (d)
5. स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था?
(a) अ श्रेणी
(b) ब श्रेणी
(c) स श्रेणी
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर:- (b)
6. राजस्थान के एकीकरण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा—”मैं अपने डेथ वारण्ट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ” उक्त कथन किस शासक के है?
(a) लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर)
(b) भीमसिंह (कोटा)
(c) तेजसिंह (अलवर)
(d) चन्द्रवीरसिंह (बाँसवाड़ा)
उत्तर :- (d)

7. किस आयोग की सिफारिशों पर आबू दिलवाड़ा तहसीलों एवं अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया?
(a) शंकर राव समिति
(b) राज्य पुनर्गठन आयोग
(c) सत्यनारायण समिति
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
उत्तर :- (b)
8. संयुक्त राजस्थान को वृहद् राजस्थान कब बनाया गया?
(a) 30 मार्च, 1949
(b) 18 अप्रैल, 1948
(c) 15 मई, 1949
(d) 1 नवम्बर, 1956
उत्तर :- (a)
9. राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है?
(a) हीरालाल शास्त्री को
(b) वल्लभ भाई पटेल को
(c) जयनारायण व्यास को
(d) विजय सिंह पथिक को
उत्तर :- (B)
10. लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व वाले रियासती विभाग का सचिव किसे बनाया गया?
(a) माणिक्यलाल वर्मा
(b) एन. बी. गाडगिल
(c) वी. पी. मेनन
(d) पी. सत्यनारायण राव
उत्तर :- (c)

गोकुल भाई भट्ट

इनका जन्म 19 फरवरी 1898 ई. में सिरोही जिले के हाथल गाँव में हुआ था। इन्हें राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 में की। गोकुलभाई भट्ट को वर्ष 1971 में भारत सरकार द्वारा देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'पद्म भूषण' पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तथा वर्ष 1982 को उन्हें 'जमनालाल बजाज' पुरस्कार से भी नवाजा गया। इनकी मृत्यु 6 अक्टूबर 1986 को हुई।

मोहनलाल सुखाड़िया

इनका जन्म 31 जुलाई 1916 को झालावाड़ जिले में हुआ था। राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया 13 नवंबर 1954 को राजस्थान के 5 वें मुख्यमंत्री बने तथा 17 वर्ष तक राजस्थान में शासन किया। राजस्थान में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का गौरव प्राप्त है, इन्होंने इंदुबाला के साथ अंतरजातीय विवाह करके मेवाड़ में रहते थे। सामाजिक जीवन में क्रांति लाई राजस्थान में जागीरदारी प्रथा के उन्मूलन में इनकी भूमिका सर्वप्रथम राजस्व मंत्री के रूप में तथा तत्पश्चात् मुख्यमंत्री के रूप में महत्वपूर्ण रही, राजस्थान में मुख्यमंत्री के पश्चात् वे दक्षिण भारत के 3 राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के राज्यपाल रहे।

जमना लाल बजाज

इनका जन्म 4 नवंबर 1889 को काशी का बास सीकर जिले में हुआ था। गांधीजी इन्हें अपना पांचवां पुत्र मानते थे। जमनालाल बजाज गांधी के कार्यों से बहुत प्रभावित थे। 1920 ई में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित होने पर उन्होंने अपनी रायबहादुर की पदवी त्याग दी। 1921 में वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। राजस्थान में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की मांग करने वाले प्रथम नेता थे। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने। जमुना लाल बजाज ने राजस्थान सेवा संघ को पुनर्जीवित कर के महान कार्य किया।

हरिदेव जोशी

जन्म 17 दिसंबर 1921 जन्म स्थल खंडू ग्राम बांसवाड़ा बाबा लक्ष्मण दास की प्रेरणा से इन्होंने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया तीन बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हरिदेव जोशी ने दैनिक नव जीवन को कांग्रेस संदेश नमो पत्रिकाओं का संपादन किया इंगूरपुर के आदिवासियों को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जागृत करने का महत्वपूर्ण कार्य किया।

रामनारायण चौधरी

इनका जन्म 1800 ईस्वी. में नीम का थाना जिले में हुआ था। 1934 में गांधी जी की दक्षिणी भारतीय हरिजन यात्रा के दौरान हिंदी सचिव के रूप में चौधरी ने राजस्थान में जन चेतना के लिए नया राजस्थान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तरुण राजस्थान के संपादक चौधरी

ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना राजस्थान शाखा का कार्यभार संभाला।

दामोदर दास राठी

इनका जन्म 8 फरवरी 1884 जन्म स्थल पोकरण जैसलमेर दामोदर दास राठी एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने ब्यावर में सनातन धर्म के लिए नवभारत विद्यालय की स्थापना करवाई। राठी साहब क्रांतिकारियों को अन्य गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करते थे।

माणिक्य लाल वर्मा

इनका जन्म 4 दिसंबर 1897 को बिजौलिया नामक स्थान पर (भीलवाड़ा) में हुआ था। मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक के प्रकाशन माणिक्यलाल वर्मा ने अक्टूबर 1938 में विजयदशमी के दिन प्रजामंडल पर लगी रोक हटाने के लिए हुए सत्याग्रह आंदोलन का अजमेर में संचालन किया। सन् 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता माणिक्य लाल वर्मा जी ने की था। वर्मा जी का लिखा हुआ पंखिड़ा ना गीत बहुत लोकप्रिय हुआ 1948 में संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री व 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष रहे।

जय नारायण व्यास

इनका जन्म 18 फरवरी 1899 ई. में जोधपुर में हुआ। जोधपुर लोक नायक जय नारायण व्यास 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक व 1936 में अखंड भारत के प्रकाशक रहे। साथ ही राजस्थान पत्रिका प्रकाशन का कार्य किया व्यास जी वर्ष 1951 से 1956 की अवधि में दो बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने सामंतशाही के विरुद्ध संघर्ष किया एवं जागीरदारी प्रथा समाप्त करने की आवाज उठाई। भारत सरकार के सदस्य की हत्या करने की योजना बनाई लेकिन समय पर नहीं पहुंचने के कारण हत्या ना हो सकी।

बलवंत सिंह मेहता

इनका जन्म 8 फरवरी 1900 को उदयपुर में हुआ था। मेवाड़ के पुराने जन सेवक और सन् 1938 में इन्हीं के नेतृत्व में मेवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्ष की गई। बलवंत सिंह मेहता ने 1943 ईस्वी. में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना की मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे।

राजस्थान इतिहास की प्रसिद्ध महिला व्यक्तित्व

अंजना देवी चौधरी

अंजना देवी चौधरी का जन्म नीमकाथाना जिले के श्रीमाधोपुर में हुआ। राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता रामनारायण चौधरी से इनका विवाह हुआ। अंजना देवी ने बिजौलिया तथा बेगूं किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया। 1921-24 में मेवाड़, बूंदी राज्यों की स्त्रियों में राष्ट्रीयता, समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया। 1924 ई. में बिजौलिया में लगभग 500 स्त्रियों के जत्थे (दल)

छोड़ पति के साथ राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया। 1931 ई. में बिजौलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लिया और जेल गयीं।

कला एवं संस्कृति


अध्याय - 1

राजस्थान के प्रमुख मंदिर

❖ राजस्थान के प्रमुख मंदिर

मौर्यकालीन मंदिर (300 ई.पू.)	नगरी (चित्तौड़गढ़) नांद (पुष्कर, अजमेर) बैराठ (कोटपूतली-बहरोड़)
गुप्त कालीन मंदिर (300 से 700 ई.)	चार चौमा शिवालय (कोटा), कन्सुआ (कोटा) मनोरथ स्वामी मंदिर (चित्तौड़) मुकन्दर का शिव मंदिर, शीतलेश्वर महादेव मंदिर (झालरापाटन)
गुर्जर प्रतिहार या महामारु शैली (700 ई. से 1000 ई.)	ऑसिया के मंदिर (जोधपुर ग्रामीण) जगत अम्बिका मंदिर (उदयपुर), कुभ श्याम मंदिर (चित्तौड़), कालिका माता मंदिर (चित्तौड़गढ़) किराडू का सोमेश्वर मंदिर (बाड़मेर), दधिमति माता मंदिर (जागौर) हर्षद माता (आभानेरी, दौसा), हर्षनाथ मंदिर (सीकर), आउवा कामेश्वर मंदिर (पाली)
सोलंकी मंदिर (चालुक्य)/ महागुर्जर शैली (11 वीं से 13 शताब्दी)	दिलवाड़ा के जैन मंदिर (सिरोही) समाद्विश्वर मंदिर (मोकल मंदिर) सच्चिया माता मंदिर (ओसिया, जोधपुर ग्रामीण)

❖ सोमेश्वर मंदिर किराडू (बाड़मेर)



- यह मन्दिर हाथमा गाँव, किराडू (बाड़मेर) में स्थित है।
- किराडू का पुराना नाम किरात कूप है जो परमार राजाओं की राजधानी थी।
- इस मंदिर की मूर्तिकला को देखकर इसे 'मूर्तियों का खजाना' कहा जाता है।

- इन मंदिरों में कुल पांच मंदिर हैं जिसमें चार भगवान शिव के तथा एक भगवान विष्णु का है।
- इन मंदिरों का मूल निर्माण की शैली नागर या आर्य शैली है।
- किराड़ के मंदिरों को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। 1178 ई. में मुहम्मद गौरी ने इस मंदिर पर आक्रमण किया था। इस मंदिर के सामने पहाड़ी पर महिषासुर मर्दिनी की एक त्रिपाद मूर्ति है।

❖ शीतलेश्वर महादेव का मंदिर (झालावाड़)



- यह झालरापाटन, झालावाड़ में स्थित है।
- यह मंदिर महामासू शैली में बना है।
- यह राजस्थान का प्रथम तिथियुक्त (689 ई.) मंदिर है।
- इसका निर्माण दुर्गाण के सामन्त वाष्पक ने करवाया।
- यह मंदिर चन्द्रभागा नदी के किनारे स्थित है।
- झालरापाटन 'घंटी वाले मंदिरों का शहर' कहलाता है।
- इसे चन्द्रमौलिेश्वर महादेव मंदिर कहा है।
- यहाँ अर्द्धनारीश्वर की मूर्ति स्थापित है।

❖ ब्रह्मा जी का मंदिर (पुष्कर, अजमेर)



- यह पुष्कर, अजमेर में स्थित विश्व का प्रथम ब्रह्मा मंदिर है।
- इस मंदिर का निर्माण गोकलचंद्र पारीक ने करवाया था लेकिन कुछ किंवदंतियों के अनुसार इस मंदिर का प्रारम्भिक निर्माण शंकराचार्य ने करवाया था।
- इस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है।
- इस मंदिर के परिसर में पंचमुखी महादेव, लक्ष्मीनारायण, गौरीशंकर, पातालेश्वर महादेव, नारद और नवग्रह के छोटे-छोटे मंदिर बने हुए हैं।
- NOTE- राजस्थान में स्थित अन्य प्रमुख ब्रह्मा मंदिर छीछ गाँव (बाँसवाड़ा) में तथा आसोतरा बालोतरा में स्थित है।

ब्रह्मा मंदिर (छीछ, बाँसवाड़ा) - इस मंदिर का निर्माण ने 12वीं सदी में जगमाल सिसोदिया करवाया। यहाँ नवग्रहों का मंदिर तथा ब्रह्म घाट स्थित है।
ब्रह्मा मंदिर (आसोतरा, बाड़मेर) - इसका निर्माण संत खेतारामजी महाराज ने करवाया।

❖ सावित्री मंदिर (पुष्कर, अजमेर)

- सावित्री मंदिर का निर्माण रत्नागिरि पर्वत पुष्कर, अजमेर में गोकुलचंद्र पारीक ने करवाया था।
- सावित्री जी का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है।
- यहाँ मई, 2016 में राजस्थान का तीसरा रोप वे बनाया गया था।
- कुछ जन अनुश्रुतियों के अनुसार यज्ञ के समय सावित्री माता अपने पति ब्रह्मा से रुठकर यहाँ चली आयी थी। यहीं सावित्री माता ने ब्रह्माजी को श्राप दिया था कि उनकी पूजा पुष्कर के अतिरिक्त कहीं नहीं होगी।

❖ एकलिंगनाथजी के मंदिर (कैलाशपुरी, उदयपुर)



- इस मंदिर का निर्माण 734 ई. में बप्पा रावल (कालभोज) ने करवाया।
- राणा मोकल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था।
- इस मंदिर में एकलिंगजी की चतुर्मुखी काले पत्थर की मूर्ति है।
- इसमें उत्तर मुख को ब्रह्मा, दक्षिण मुख को शिव, पूर्व मुख को सूर्य, पश्चिम मुख को विष्णु कहा जाता है।
- यह मंदिर लकुलीश मंदिर कहलाता है। राजस्थान में पाशुपत सम्प्रदाय (लकुलीश सम्प्रदाय) का यह एकमात्र मंदिर है।
- एकलिंगजी को मेवाड़ शासक अपना वास्तविक राजा मानते हैं।
- इस मंदिर की तलहटी में महाराणा कुम्भा द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर है, जिसे लोग 'मीराबाई का मंदिर' भी कहते हैं।

❖ ऋषभदेव मंदिर धूलेव (उदयपुर)



- परशुराम महादेव मंदिर में गुफा राजसमंद जिले में आती है तो यहाँ स्थित जल कुंड पाली जिले में।
- यहाँ अमरनाथ की तरह चूने से शिवलिंग बनता है जिस कारण इसे राजस्थान का अमरनाथ कहते हैं।
- यहाँ भगवान परशुराम ने महादेव की तपस्या की।
- यहाँ स्थित शिवलिंग में छिद्र है, इस कारण जब इसमें जल चढ़ाया जाता है तो यह सैंकड़ों लीटर जल को अपने अंदर समाहित कर लेता है, लेकिन जब शिवलिंग को दूध अर्पित किया जाता है तो यह दूध शिवलिंग में समाता ही नहीं है।

❖ ओम बन्नासा मंदिर (चोटिला, पाली)

- इस मंदिर में बुलेट मोटरसाईकिल की पूजा की जाती है। झाईवर इनकी पूजा करते हैं।

❖ खाटू श्याम जी का मन्दिर (सीकर)



- यहाँ शीश की पूजा की जाती है।
- मन्दिर की नींव 1720 ई. में अजमेर के अजीतसिंह सिसोदिया के पुत्र अभयसिंह ने रखी थी।
- महाभारत में बर्बरीक के मस्तक को कलियुग में श्याम के रूप में पूजते हैं।
- यहाँ फाल्गुन शुक्ल एकादशी व द्वादशी को मेला भरता है।
- श्यामजी भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे।
- बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है।
- प्रतिवर्ष फाल्गुन शुक्ल एकादशी व द्वादशी को यहाँ विशाल मेला भरता है।


❖ हर्षनाथ मंदिर (सीकर)



- इस मन्दिर का निर्माण 956 ई. चौहान शासक सिंहराज ने रखी थी। इसके बाद मंदिर का निर्माण चौहान राजा विग्रहराज द्वितीय ने कराया।
- यहाँ भगवान शिव का मन्दिर, भैरवजी का मन्दिर व हर्षनाथ का मन्दिर है।

- 1679 ई. में औरंगजेब के सेनापति खानजहाँ बहादुर ने इस मंदिर को तुड़वा दिया।
- 18वीं सदी में सीकर के रावराजा शिवसिंह ने यहाँ पुनः मंदिर का निर्माण करवाया।
- प्रतिवर्ष भाद्रपद त्रयोदशी को यहाँ विशाल मेला भरता है। हर्ष जीण माता के भाई थे।
- हर्ष मंदिर में लिंगोद्भव की मूर्ति भी प्रतिष्ठित की गई थी। जो विश्व की एकमात्र मूर्ति थी। जो अब अजमेर के संग्रहालय में स्थित है।

❖ कल्याणजी का मन्दिर (डिग्गी मालपुरा, टोंक)



- इस मंदिर का निर्माण मेवाड़ के तत्कालीन राणा संग्राम सिंह के शासन काल में संवत् 1584 (सन् 1527) के ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को तिवाड़ी ब्राह्मणों द्वारा हुआ था।
- यहाँ कुष्ठ रोग का इलाज होता है।
- मुस्लिम इसे कलह पीर के नाम से जानते हैं।
- यहाँ विष्णु की चतुर्भुज मूर्ति है।
- कल्याणजी के मंदिर में श्रावण पूर्णिमा के दिन पदयात्रियों का विशाल मेला भरता है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी व वैशाख पूर्णिमा को भी डिग्गी में मेले का आयोजन होता है।

❖ देलवाड़ा जैन मंदिर (माउंटआबू, सिरौही)



- यहाँ जैन धर्म के कुल 5 मंदिर (पाँच श्वेताम्बर और एक दिगम्बर जैन मन्दिर) हैं। जिनका निर्माण 11वीं 16वीं सदी के मध्य हुआ। जैन धर्म के ये पाँच मंदिर निम्न हैं- (i) विमलशाही / आदिनाथ मंदिर (ii) लूणवसही मंदिर (iii) पित्तलहर जैन मंदिर (iv) पार्श्वनाथ जैन मंदिर (v) महावीर स्वामी जैन मंदिर
- 14 अक्टूबर, 2009 ई. में इन मंदिरों पर डाक टिकट जारी हुआ।

❖ हस्तशिल्प

- राजस्थान की हस्तशिल्प विश्व प्रसिद्ध है इसलिए राजस्थान को हस्तकलाओं का अजायबघर / खजाना कहा जाता है।
- हस्तकला उद्योग केन्द्र बोराणाडा, जोधपुर में है।
- हस्तकलाओं का तीर्थ जयपुर को कहते हैं।
- राजस्थान में हस्तकला उद्योग को सर्वाधिक संरक्षण देने वाला संस्थान राजसीको है जिसकी स्थापना 3 जून, 1961 को जयपुर में की गई थी। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम राजस्थली नाम से विपणन करता है।
- वर्ष 1998 की औद्योगिक नीति में हस्तकला उद्योग को सर्वाधिक संरक्षण दिया गया है।

❖ **पॉटरी** - चीनी मिट्टी के बर्तनों पर की जाने वाली आकर्षक चित्रकारी पॉटरी कहलाती है।

- पॉटरी का उद्भव दमिश्क (सीरिया की राजधानी) में माना जाता है जो फारस, अफगानिस्तान होती हुई भारत आयी।

❖ ब्लू पॉटरी



- चीनी - मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग से चित्रकारी करना।
- इसके लिए जयपुर प्रसिद्ध है।
- राजस्थान में इसे लाने का श्रेय मानसिंह को है।
- इस कला का सर्वाधिक विकास जयपुर शासक रामसिंह द्वितीय के समय हुआ था।
- इस कला को पुर्नजिवित करने का श्रेय कृपाल सिंह शेखावत को है जिनका जन्म स्थान सीकर जिला है।
- कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में पद्म श्री पुरस्कार दिया जा चुका है।
- ब्लू पॉटरी की एकमात्र महिला कलाकार नाथी बाई हैं।


❖ **ब्लैक पॉटरी** - ब्लैक पॉटरी कोटा की प्रसिद्ध है।

❖ **कागजी पॉटरी** - कागजी पॉटरी अलवर की प्रसिद्ध है।

❖ **मोलेला पॉटरी** - मोलेला पॉटरी राजसमन्द की प्रसिद्ध है।


❖ **बीकानेरी पॉटरी (सुनहरी पॉटरी)** - इस पॉटरी में लाख का प्रयोग किया जाता है।

❖ मूनवर्ती / उस्ता कला



- इस कला में ऊँट की खाल पर सुनहरी नक्काशी की जाती है।
- यह कला बीकानेर की प्रसिद्ध है।
- हीसामुद्दीन उस्ता कला के प्रमुख चित्रकार हैं, जिन्हें इस कला के लिए वर्ष 1986 में पद्मश्री दिया गया था। मुहम्मद हनीफ उस्ता, कादर बक्श इसके कारीगर हैं।
- उस्ताकला को बढ़ावा देने हेतु बीकानेर में कैमल हाईड ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना 15 अगस्त, 1975 को की गई थी जिसके प्रथम निदेशक हीसामुद्दीन उस्ता को बनाया गया था।
- इलाही बक्श ने ऊँट की खाल पर बीकानेर शासक महाराजा गंगासिंह का चित्र बनाया।

❖ मथैरणा कला



- ❖ इस कला में कपड़े पर सुनहरी नक्काशी की जाती है। यह कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। इस कला में ईसर, गणगौर, देवी - देवताओं की भीति चित्र बनाये जाते हैं। मुन्नालाल, चन्दूलाल मथैरणा कला के प्रमुख कारीगर थे।

❖ मीनाकारी



- विभिन्न रंगों की मूल्यवान रत्नों पर मीनें की सहायता से तथा सोने - चाँदी के आभूषणों पर चित्रकारी या रंग भरने की कला को मीनाकारी कहते हैं।
- मीनाकारी कला का उद्भव पर्शिया (ईरान) में माना जाता है।

7. 'वाणी' व 'सर्वगी' नामक ग्रंथों के रचयिता हैं—
A. बखना जी B. दुर्लभ जी
C. रज्जब जी D. दुर्जन जी (C)
8. रसिक सम्प्रदाय के प्रवर्तक 'अग्रदास जी महाराज' कहाँ के निवासी थे ?
A. जयपुर के B. जोधपुर के
C. अजमेर के D. नागौर के (A)
9. महात्मा चरणदासजी की शिष्या जिन्होंने 'दयाबोध' और 'विनयमालिका' नामक ग्रंथों की रचना की
A. करमाबाई B. दयाबाई
C. जोधाबाई D. माँगीबाई (B)
10. राजस्थान में 'निरंजनी सम्प्रदाय' के प्रवर्तक कौन थे ?
A. रामदासजी B. लालदासजी
C. गरीबदासजी D. हरिदासजी (D)

राजस्थान का भूगोल


अध्याय - 1

भूगर्भिक संरचना एवं भू-आकृतिक प्रदेश

राजस्थान का विस्तार -

नोट-

राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार $23^{\circ}03''$ से $30^{\circ}12''$ उत्तरी अक्षांश ही तक है जिसका अंतर $7^{\circ}09$ मिनट है। जबकि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार $69^{\circ}30''$ से $78^{\circ}17''$ पूर्वी देशांतर है जिसका अंतर $8^{\circ}47$ मिनट है। (देखें मानचित्र A, B)



(मानचित्र-A)


नोट- राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार $7^{\circ}9'' (30^{\circ}12'' - 23^{\circ}03'')$ है तथा कुल देशांतरीय विस्तार $8^{\circ}47'' (78^{\circ}17'' - 69^{\circ}30'')$ है।

$1^{\circ} = 60$ मिनट

$1'' = 111.4$ किलोमीटर होता है।


- राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है जो कि संपूर्ण भारत का 10.41% है।
 - भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है।
 - जो हिमाच्छादित हिमालय की ऊंचाइयों से शुरू होकर दक्षिण के विषुवतीय वर्षा वनों तक फैला हुआ है। जो संपूर्ण विश्व का 2.42% है।
 - 1 नवंबर 2000 से पूर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य मध्यप्रदेश था, लेकिन 1 नवंबर 2000 के बाद मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग होने से जाने पर भारत का सबसे बड़ा राज्य (क्षेत्रफल की दृष्टि से) राजस्थान बन गया।
- 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या 68,548,437 थी जो कि कुल देश की जनसंख्या का 5.67% है।

➤ **कर्क रेखा राजस्थान में स्थित:-**




कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है-

1. गुजरात
 2. राजस्थान
 3. मध्यप्रदेश
 4. छत्तीसगढ़
 5. झारखंड
 6. पश्चिम बंगाल
 7. त्रिपुरा
 8. मिजोरम
- राजस्थान में कर्क रेखा बाँसवाड़ा जिले के मध्य से कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है इसके अलावा कर्क रेखा इंगूरपुर जिले को भी स्पर्श करती है अर्थात् कुल दो जिलों से होकर गुजरती है।
 - राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई 26 किलोमीटर है। राजस्थान का सर्वाधिक भाग कर्क रेखा के उत्तरी भाग में स्थित है।
 - राजस्थान का कर्क रेखा से सर्वाधिक नजदीकी शहर बाँसवाड़ा है।
 - भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती हैं, अतः वहाँ पर तापमान अधिक होता है। जैसे - जैसे भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ती जाती है, वैसे - वैसे सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है और तापमान में कमी आती जाती है।



- राजस्थान में बाँसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती हैं जबकि गंगानगर में सर्वाधिक तिरछी पड़ती है।

कारण - बाँसवाड़ा सर्वाधिक दक्षिण में स्थित है तथा श्रीगंगानगर सबसे उत्तर में स्थित है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के अनुसार राज्य का सबसे गर्म जिला बाँसवाड़ा होना चाहिए एवं राज्य का सबसे ठंडा जिला श्रीगंगानगर होना चाहिए लेकिन वर्तमान में राज्य का सबसे गर्म व सबसे ठंडा जिला चूरु है। यह जिला सर्दियों में सबसे अधिक ठंडा एवं गर्मियों में सबसे अधिक गर्म रहता है। इसका कारण यहाँ पाई जाने वाली रेत व जिप्सम है।



चित्र:- मानचित्र को ध्यान से समझिए

नोट - जैसे कि ऊपर दिए गए मानचित्र में समझाया है कि, सूर्य 21 जून को सीधा कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर को सीधा मकर रेखा पर चमकता है।

राजसमन्द, शाहपुरा, केकडी, ब्यावर, अजमेर, टोक, बूंदी, दौसा और दूदू) ऐसे जिले हैं जो न तो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं तथा न ही अंतरराष्ट्रीय।

- झालावाड़ मध्यप्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा (520 कि.मी) बनाता है तथा बाड़मेर गुजरात के साथ न्यूनतम 14 कि.मी. की सीमा बनाता है।
- राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जिनकी अंतरराज्यीय एवं अंतरराष्ट्रीय सीमा है -
 1. श्रीगंगानगर (पाकिस्तान + पंजाब)
 2. बाड़मेर (पाकिस्तान + गुजरात)

राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा दो - दो राज्यों से लगती है-

हनुमानगढ़ :- पंजाब + हरियाणा
धौलपुर :- उत्तरप्रदेश + मध्यप्रदेश
बाँसवाड़ा :- मध्यप्रदेश + गुजरात
डीग :- उत्तरप्रदेश + हरियाणा

- राजस्थान के परिधिजिले - 28 (गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपूतली बहरोड, खैरथल

तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सर्वाई-माधोपुर, बारां, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, इंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अनुपगढ़।)

- राजस्थान के अन्तरराज्यीय सीमा वाले जिले - 25(गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपूतली बहरोड, खैरथल तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सर्वाई-माधोपुर, बारां, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, इंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर, बाड़मेर।)
- राजस्थान के केवल अन्तरराज्यीय सीमा वाले जिले - 23(हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीमकाथाना, कोटपूतली बहरोड, खैरथल तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सर्वाई-माधोपुर, बारां, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, इंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर)
- अन्तर्वर्ती जिले जो किसी अन्य राज्य/राष्ट्र के साथ कोई सीमा नहीं बनाते - 22



राजस्थान की पाकिस्तान के साथ सीमा

अध्याय - 6

राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन खनिज सम्पदा

राजस्थान में खनिज संसाधन -

राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं आइए जानते हैं वह कौन - कौन से खनिज यहाँ पाए जाते हैं।

1. ऐसे खनिज जिन पर राजस्थान का एकाधिकार है - पन्ना, जास्पर, तामड़ा, वोलेस्टोनाइट
2. ऐसे खनिज जिनके उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है - जस्ता - 97%, फ्लोराइड 96%, एस्बेस्टस 96%, रॉकफोस्फेट 95%, जिप्सम 94% चूना पत्थर 93%, खड़िया मिट्टी 92%, घीया पत्थर 90%, चांदी 80%, मकराना (मार्बल) 75%, सीसा 75%, फेल्सपार 75%,

टंगस्टन 75%, कैल्साइट 70%, फायर क्ले 65%, ईमारती पत्थर 60%, बेंटोनाइट 60%, कैडमियम 60%


3. वे खनिज जिनकी राजस्थान में कमी है - लोहा, कोयला, मैंगनीज, खनिज तेल, ग्रेफाइट

राजस्थान में पाए जाने वाले खनिजों को तीन प्रकारों में बांटा जा सकता है -

1. **धात्विक खनिज** - लौह अयस्क, मैंगनीज, टंगस्टन, सीसा, जस्ता, तांबा, चांदी इत्यादि।
 2. **अधात्विक खनिज** - अश्रक, एस्बेस्टस, फेल्सपार, बालुका मिट्टी, चूना पत्थर, पन्ना, तामड़ा इत्यादि।
 3. **ईंधन** - कोयला, पेट्रोलियम, खनिज इत्यादि।
- दोस्तों खनिजों की दृष्टि से राजस्थान में अरावली प्रदेश और पठारी प्रदेश काफी समृद्ध हैं।

- **धात्विक खनिज -**

राजस्थान में धात्विक खनिज



1. लोहा - राजस्थान में लोहा मुख्य रूप से अरावली के उत्तर

- पूर्व एवं दक्षिण- पूर्व में पाया जाता है।

लोहा अयस्क चार प्रकार का होता है-

- | | | |
|---------------|---|------|
| i. मैग्नेटाइट | - | 74 % |
| ii. हेमेटाइट | - | 65 % |
| iii. लिमोनाइट | - | 50 % |
| iv. सिडेराइट | - | 40% |

→ राजस्थान में मुख्य रूप से लोहे का उत्पादन निम्न स्थानों पर होता है एवं राजस्थान में हेमेटाइट व लिमोनाइट लौह अयस्क पाया जाता है।

प्रमुख खान-

- मोरिजा- बानोल- सामोद, जयपुर ग्रामीण
- नीमला- राइसेला- लालसोट, टोंक

- सिंधाना- डाबला- झुंझुनू
- नीम का थाना
- थूर हुण्डेर - उदयपुर
- नाथरा की पाल - सलूमबर
- राजस्थान में सबसे अधिक लौहे का उत्पादन जयपुर ग्रामीण जिले से होता है। यह हेमेटाइट प्रकार का है।

2. सीसा-जस्ता :-

- सीसे जस्ते के अयस्क को गैलेना कहा जाता है। यह अयस्क मिश्रित रूप में मिलने के कारण इसे जुड़वा खनिज भी कहते हैं।
- राजस्थान में जिन स्थानों पर सीसे - जस्ते का उत्खनन होता है उन्हीं स्थानों से चाँदी व तांबा का उत्खनन होता है।

प्रमुख खान-

- जावर खान- उदयपुर
- यह देश की सबसे बड़ी जस्ते की खान है।
- राजपुरा-दरीबा- राजसमंद
- पुर- दरीबा- भीलवाड़ा
- रामपुरा- आगूचा- भीलवाड़ा
- गुढा किशोरी - अलवर
- चौथ का बरवाड़ा - सर्वाई माधोपुर
- मोचिया - मगरा - उदयपुर
- रेल- मगरा- राजसमंद

→ राजस्थान में जस्ते के उत्खनन के लिए दो संयंत्र स्थापित किये गये हैं।

i. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर :- इसकी स्थापना केन्द्र सरकार के द्वारा की गई जो मुख्य रूप से देवारी नामक स्थान पर उत्खनन का कार्य करता है।

ii. चन्देरिया सुपर जिंक स्मेल्टर, चित्तौड़गढ़ :- इसकी स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई जो मुख्य रूप से जस्ते का उत्खनन कार्य करता है।

→ राजस्थान में सीसा गलाने का संयंत्र न होने के कारण सीसे के अयस्क को टुंडू बिहार भेजा जाता है।

→ राजसमंद के दरीबा, नामक स्थान पर सीसा गलाने का संयंत्र स्थापित किया गया है लेकिन इसकी क्षमता कम होने के कारण सीसे के बचे हुए अयस्क को बिहार भेजा जाता है।

3. चाँदी :-

देश में सबसे अधिक चाँदी का उत्पादन राजस्थान में होता है।

प्रमुख खान

- राजपुरा - दरीबा - राजसमंद
- रामपुरा - आगूचा- भीलवाड़ा

4. सोना :- राजस्थान में सबसे अधिक सोने के भण्डार बाँसवाड़ा जिले में पाया जाता है।

→ इसके अलावा दौसा जिले में भी सोने के क्षेत्रों का पता लगाया गया है।

बाँसवाड़ा के प्रमुख खान

- आनन्दपुर - भूकिया क्षेत्र
- जगतपुर

अन्य स्थान

- धानोता - झुंझुनू
- धानी बासडी - दौसा

नोट - आनन्दपुर भूकिया बाँसवाड़ा में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा सोने की खोज का कार्य किया जा रहा है।

5. तांबा :- तांबा राजस्थान में सबसे अधिक खेतड़ी (नीमकाथाना) नामक स्थान से निकाला जाता है।

→ तांबे के उत्पादन में राजस्थान का उड़ीसा के बाद दूसरा स्थान है एवं भंडार की दृष्टि से उड़ीसा, आंध्रप्रदेश के बाद तीसरा स्थान है।

→ राजस्थान में तांबा परिशोधन शाला खेतड़ी कस्बे में स्थापित की गयी है।

→ राजस्थान में तांबे के उत्खनन का कार्य हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जा है।

→ हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की राजस्थान में 3 परियोजनाएँ चल रही हैं।

i. HCL- Hindustan Copper Ltd.- खेतड़ी (नीमकाथाना)

ii. चांदमारी- कॉपर लि.- नीमकाथाना

iii. नीम का थाना कॉपर लि. - नीमकाथाना

तांबे के प्रमुख उत्खनन क्षेत्र

खेतड़ी (नीमकाथाना) व कुछ क्षेत्र झुंझुनू (तांबा तीनों चट्टानों में पाया जाता है आग्नेय, अवसादी तथा कार्यांतरित)।

- | | | |
|----------------------|---|-----------|
| • खो - दरीबा | - | अलवर |
| • नीम का थाना | - | नीमकाथाना |
| • पुर बनेड़ा - दरीबा | - | भीलवाड़ा |
| • भगोनी | - | अलवर |
| • बन्नो वाली की ढाणी | - | सीकर |
| • राजपुर- दरीबा | - | राजसमंद |
| • बीदासर | - | चुरू |

नोट- राजस्थान में सबसे अधिक तांबे के क्षेत्रों का नीम का थाना सीकर में पता लगाया गया है-

6. मैंगनीज :- राजस्थान में सबसे अधिक मैंगनीज का उत्पादन बाँसवाड़ा जिले में होता है।

प्रमुख उत्पादक क्षेत्र - सर्वाधिक तलवाड़ा, लीलवानी, नरडिया, सिवोनिया, कालाखूंट, तिम्यामोरी, कांसला (बाँसवाड़ा), सरूपपुरा, रामौसन, छोटी सार व बड़ी सार (उदयपुर), नगेडिया (राजसमंद), जयपुर व सर्वाईमाधोपुर आदि।

7. संगमरमर :-

→ संगमरमर मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों में पाये जाते हैं।

→ चूना-पत्थर पर आधारित दाब, ताप एवं आंतरिक क्रियाओं के द्वारा जो चट्टानें कठोर हो जाती हैं उन अवसादी चट्टानों को मार्बल (संगमरमर) कहा जाता है।

- हरसोठ/ कैल्शियम सल्फेट । इसका रेवदार रूप सैलेनाइट कहलाता है एवं इसको सुखाने पर P.O.P. (Plastic of Paris) की प्राप्ति होती है एवं राजस्थान में क्षारीय भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है।
- इसके अलावा रासायनिक खाद, रंग रोगन एवं गंधक का तेजाब के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है।
- इसका **सर्वाधिक उत्पादन नागौर जिले में होता है।**

प्रमुख क्षेत्र

- गौठ-मांगलोद- नागौर (सर्वाधिक)
- भदवासी- नागौर
- बिसरासर- राज्य की सबसे बड़ी खान - बीकानेर
- जामसर - राज्य का सबसे बड़ा जमाव - बीकानेर

1. चूना-पत्थर

- यह मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों में पाया जाता है।
- चूना पत्थर की खानों में अगर 45 % से अधिक मैग्नीशियम हो तो उसे 'डोलोमाइट' कहा जाता है।
- स्टील ग्रेड चूना पत्थर - जैसलमेर के सानू क्षेत्र में।
- सीमेंट ग्रेड - चित्तौड़गढ़
- **कैमिकल ग्रेड चूना पत्थर - जोधपुर व नागौर**
नोट:- गोटन (नागौर) में भी चूना पत्थर पाया जाता है।

2. अभ्रक

- अभ्रक आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में काले रंग के टुकड़ों के रूप में पाया जाता है।
- इसका उपयोग विद्युत उद्योगों में, सजावटी सामानों में एवं ताप भट्टियों में किया जाता है।
- यह ताप का कुचालक होता है।
- माइक्रेनाइट उद्योग - अभ्रक के चूरे से ईंट तथा चादरें बनाने वाले उद्योग को माइक्रेनाइट उद्योग कहा जाता है।
- इस उद्योग के सर्वाधिक कारखाने भीलवाड़ा जिले में पाये जाते हैं।
- अभ्रक को खनिजों का बीमार बच्चा कहा जाता है, क्योंकि देश की 20 बड़ी अभ्रक की खानों से कुल उत्पादन का मात्र 50% प्राप्त होता है।

रूबी अभ्रक

- सफेद अभ्रक को रूबी अभ्रक कहा जाता है।

बायोटाइट अभ्रक

- गुलाबी अभ्रक को बायोटाइट अभ्रक कहा जाता है।
- इसका उपयोग दवाईयाँ, सजावटी सामान, वायुयान एवं ताप भट्टियों में किया जाता है।

प्रमुख क्षेत्र

1. भीलवाड़ा - पोटला, फुलिया, नट की खेड़ी।
2. शाहपुरा
- **अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन भीलवाड़ा में होता है।**
3. अजमेर- जालिया, भिनाय
4. ब्यावर
5. उदयपुर
6. जयपुर - बंजारी खान

- **राजस्थान अभ्रक का उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है।**

3. रॉक फास्फेट

- जिन चट्टानों में डाई कैल्शियम फास्फेट का प्रतिशत अधिक पाया जाता है उन्हें रॉक फास्फेट चट्टान कहा जाता है।
- इसका उपयोग रासायनिक खाद के उत्पादन में अत्यधिक किया जाता है।

क्षेत्र-

1. **झामरकोटड़ा (उदयपुर)-देश की सबसे बड़ी रॉक फास्फेट खान**
- इसके अलावा उदयपुर के माटोन, कानपुरा, नीमच आदि से भी इनका उत्पादन होता है।
2. जैसलमेर- लाठी, बिरमानिया क्षेत्र, फतेहगढ़
3. जयपुर- अचरोल
4. सीकर- करपुरा

4. एस्बेस्टॉस (90%) (मिनरलसिल्क)

- उपयोग- सीमेंट, चादर, रेल के डिब्बे, जहाज, टाइल्स।
एस्बेस्टॉस के दो प्रकार होते हैं -
1. क्राइसोलाइट
 2. एम्फीबोलाइट
- एम्फीबॉल - यह घटिया किस्म का एस्बेस्टॉस राजस्थान में पाया जाता है।

प्रमुख क्षेत्र :

प्रमुख क्षेत्र :

1. उदयपुर - खेरवाड़ा, ऋषभदेव
2. सलूमबर
3. राजसमन्द- तिरवी
4. इंगरपुर- देवल, खेमास, नलवा
5. भीलवाड़ा
6. पाली

5. फेलस्पार

यह एक ऐसा खनिज है, जो स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं होता है। इसके साथ पोटाश व सोडास्पर पाया जाता है।

प्रमुख क्षेत्र

1. अजमेर → मकरेडा → सर्वाधिक फेलस्पार → 96%
2. भीलवाड़ा → माण्डल व आसीद
3. पाली → चनोदिया
4. खैरथल → खैरथल-तिजारा

उपयोग → चीनी मिट्टी के बर्तनों में उपयोग।

काँच बालूका

उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है।

प्रमुख क्षेत्र

1. जयपुर ग्रामीण → झर, कानोता, बासखों (सबसे अधिक उत्पादन)
2. बूंदी → बड़ोदिया

4. निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं हैं

- A. राज्यों के राज्यपाल अनुच्छेद 153
B. राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155
C. राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 156
D. राज्यपाल पद के लिए शर्तें अनुच्छेद 159

उत्तर (D)

5. राजस्थान में डी- ज्यूरी हेड होता है

- A. उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
B. मुख्यमंत्री
C. मुख्य सचिव
D. राज्यपाल

उत्तर (D)

6. निम्नलिखित में से कौनसी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है ?

- A. स्वविवेकीय B. वीटो पॉवर
C. अध्यादेश जारी करना D. परामर्शकारी शक्ति

उत्तर (D)

7. निम्नलिखित में से राज्यपाल के संबंध में कौनसा कथन सही है ?

- A. राज्यपाल राज्य सरकार का कार्यकारी /
संवैधानिक प्रमुख होता है ।
B. उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए ।
C. उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए ।
D. उसकी आयु अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए

उत्तर (A)

8. राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन किस राज्यपाल के समय लगाया गया था ?

- A. जोगिंदरसिंह B. रघुकुल तिलक
C. एम चेना रेड्डी D. हुकुमसिंह

उत्तर (C)

9. राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कौन सा कथन असत्य है ?

- A. वह राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं ।
B. वह 'राजस्थान रेडक्रास सोसायटी' के अध्यक्ष होते हैं ।
C. वह राज्य सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं ।
D. उपर्युक्त सभी

उत्तर (A)

10. राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौनसे लोकसभा अध्यक्ष भी रहे ?

- A. बलिराम भगत B. प्रतिभा पाटिल
C. रघुकुल तिलक D. मदनलाल खुराना

उत्तर (A)

अध्याय - 2

मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद्

- मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा संविधान के **अनुच्छेद 164 (1)** के तहत की जाती है ।
- सामान्यतः, राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है । लेकिन यदि चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, उस स्थिति में राज्यपाल स्वविवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। उसे एक माह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है ।

राज्यपाल स्वविवेक द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति ऐसे समय पर करता है जब कार्यकाल के दौरान किसी मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए और कोई उत्तराधिकारी तय नहीं हो या चुनावों में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ हो।

NOTE- केन्द्र शासित प्रदेशों में (जहाँ विधानसभा है) मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति, राष्ट्रपति करता है । वर्तमान में भारत के तीन केन्द्र शासित प्रदेशों क्रमशः पुदुच्चेरी, दिल्ली और जम्मू- कश्मीर में विधानसभाओं का प्रावधान है ।

- **अनुच्छेद 164 (3)** मुख्यमंत्री व मंत्रियों को शपथ राज्यपाल दिलाता है । राज्य का मुख्यमंत्री कार्यग्रहण से पूर्व राज्यपाल के समक्ष पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है। मुख्यमंत्री व मंत्रियों की शपथ का प्रारूप **भारतीय संविधान की अनुसूची 3** में मिलता है ।

अनुच्छेद 164 (4) मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों की योग्यता भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री पद के लिए योग्यताएँ आवश्यक हैं जो एक मंत्री पद के लिए होती हैं । जैसे— (1) न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो । (2) राज्य विधानमण्डल के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो ।

NOTE :- यदि मुख्यमंत्री विधानमण्डल के किसी भी सदन का सदस्य न भी हो तो 6 माह तक मुख्यमंत्री रह सकता है । 6 माह के भीतर उसे विधानमण्डल के किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है अन्यथा त्यागपत्र देना पड़ता है । मुख्यमंत्री सामान्यतः विधानमण्डल के निम्न सदन (विधान सभा) का सदस्य होता है, लेकिन उच्च सदन (विधान परिषद्) के सदस्य को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है यदि उस राज्य में द्विसदनात्मक विधान मण्डल है तो ।

NOTE- यदि मुख्यमंत्री विधानपरिषद् का सदस्य है तो वह (i) राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता।

(ii) वह अविश्वास प्रस्ताव पर वोट नहीं कर सकता है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाता है ।

- **अनुच्छेद 164 (5)** मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों व कार्यकाल मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमण्डल द्वारा किया जाता है । वर्तमान में राजस्थान

के मुख्यमंत्री को 75,000 रु प्रतिमाह वेतन मिलता है। (1 अप्रैल, 2019 के बाद) स्मरणीय तथ्य : मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परन्तु वह राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपने पद पर बना रहता है। अर्थात् जब तक कि उसका विधानसभा में बहुमत है। लेकिन यदि मुख्यमंत्री विधानसभा में अपना बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। और मुख्यमंत्री का त्यागपत्र समस्त मंत्रिपरिषद् का त्यागपत्र माना जाता है।

अनुच्छेद 164 (2) - राज्य की मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ मंत्रिपरिषद् के संबंध में

- मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है।
- मुख्यमंत्री, मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा करता है और उनमें फेरबदल भी करता है। मतभेद होने पर वह किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने का परामर्श दे सकता है।
- मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद् एवं मंत्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता करता है।

NOTE- मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ मंत्री मंत्रिमण्डल की अध्यक्षता करता है।

- वह सभी मंत्रियों को उनके कार्यों में परामर्श देता है तथा उनके कार्यों पर नियंत्रण भी रखता है।
- मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद् के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता है।

अनुच्छेद 164 (1) क - इस अनुच्छेद को 91 वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया। इसमें राज्य मंत्रिपरिषद् का आकार निश्चित किया गया। राज्य मंत्रिपरिषद् में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री उस राज्य की कुल विधानसभा सीटों का 15 % तथा मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम मंत्री 12 होंगे।

राज्यपाल के संदर्भ में

अनुच्छेद 167- इसमें मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है।

(i) वह मंत्रिपरिषद् द्वारा राज्य के प्रशासन से संबंधित मामलों के लिए सभी निर्णयों तथा विधायन के प्रस्तावों के बारे में राज्यपाल को सूचित करें।

(ii) राज्यपाल द्वारा राज्य के प्रशासन से संबंधित मामलों अथवा विधायन प्रस्तावों के बारे में माँगें जाने पर सूचना प्रदान करना।

(iii) यदि राज्यपाल चाहे तो मंत्रिपरिषद् के समक्ष किसी ऐसे मामले को विचारार्थ रखे जिस पर निर्णय तो किसी मंत्री द्वारा लिया जाना है लेकिन जिस पर मंत्रिपरिषद् विचार नहीं किया है।

NOTE :- राज्य की प्रमुख संवैधानिक संस्था जैसे- राज्य के महाधिवक्ता (अनुच्छेद-165), राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों (अनुच्छेद 243 1-पंचायतीराज, अनुच्छेद 243 4- नगर निकायों के लिए) तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों (अनुच्छेद-316) राज्य निर्वाचन आयुक्त (अनुच्छेद 243 K-पंचायतीराज व अनुच्छेद 243 2A- नगर निकायों के लिए) की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद् की सलाह (विशेषतया मुख्यमंत्री) की जाती है।

NOTE :- राज्य के प्रमुख सांविधिक/ वैधानिक निकायों जैसे- राजस्थान मानवाधिकार आयोग, राजस्थान सुचना आयोग के अध्यक्षों व सदस्यों तथा लोकायुक्त संस्था के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता।

NOTE :- राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार (मुख्यमंत्री) द्वारा की जाती है।

राज्य विधानमण्डल के संबंध में

- मुख्यमंत्री, राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है।
- मुख्यमंत्री ही राज्य विधानसभा के पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है।
- मुख्यमंत्री, राज्यपाल को सत्राहूत व सत्रावसान के संबंध में सलाह देता है।

मुख्यमंत्री के अन्य कार्य

- राज्य आयोजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं।
- अंतर्राज्यीय परिषद् (अनुच्छेद 263) के सदस्य होते हैं।
- राष्ट्रीय विकास परिषद् के सदस्य होते हैं।
- नीति आयोग के सदस्य होते हैं।
- वह संबंधित क्षेत्रीय परिषदों के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं तथा एक समय में इनका कार्यकाल वर्ष का होता है।
- मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता तथा आपातकाल के समय वह राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक होता है।

उपमुख्यमंत्री

यह एक गैर - संवैधानिक पद है। यह एक परम्परा के तौर पर किसी राजनीतिक दल को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से सृजित किया जाता है।

उपमुख्यमंत्री	मुख्यमंत्री	वर्ष
टीकाराम पालीवाल	जयनारायण व्यास	1952-1954
हरिशंकर भाभड़ा	भैरोसिंह शेखावत	1994-1998
बनवारी लाल बैरवा	अशोक गहलोत	2003
कमला बेनीवाल	अशोक गहलोत	2003
सचिन पायलट	अशोक गहलोत	2018

1. कैबिनेट मंत्री :- यह मंत्रिपरिषद् का छोटा - सा भाग होता है। यह सभी अपने - अपने विभागों के मुखिया होते हैं। इनके पास राज्य के महत्वपूर्ण विभाग गृह, वित्त कृषि, उद्योग आदि होते हैं।

2. राज्यमंत्री :- राज्य मंत्रियों को या तो स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है या उन्हें कैबिनेट मंत्रियों के साथ संबद्ध किया जा सकता है।

3. उपमंत्री :- इन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है।

NOTE :- मंत्रियों की एक और श्रेणी भी है, जिन्हें संसदीय सचिव कहा जाता है। वे वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उनके संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है, इन्हें राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। यह मंत्रिपरिषद् के सदस्य नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री इन्हें शपथ दिलाते हैं। यह मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मुख्यमंत्री इन्हें कभी भी बर्खास्त कर सकते हैं।

NOTE :- राजस्थान में संसदीय सचिव का पद लाभ के पद के दायरे में नहीं आता है। राजस्थान में पहली बार वर्ष 1967 में मोहनलाल सुखाड़िया के समय संसदीय सचिवों को नियुक्त किया गया।

" मंत्रालय " शब्द केन्द्र के लिए प्रयोग होता न कि राज्यों के लिए अर्थात् राज्य सरकार विभागों में बटा होता है।

मंत्रिपरिषद्	मंत्रिमण्डल
मंत्रिपरिषद् का आकार बड़ा होता	मंत्रिमण्डल मंत्रिमण्डल का आकार छोटा होता है।
मंत्रिपरिषद् में कैबिनेट, राज्यमंत्री व उपमंत्री स्तर के मंत्री होते हैं।	मंत्रिमण्डल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही होते हैं।
मंत्रिपरिषद् मंत्रिमण्डल के निर्णयों को लागू करती है।	यह मंत्रिपरिषद् द्वारा अपने निर्णयों के अनुपालन की देखरेख करती है।
यह सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है।	यह मंत्रिपरिषद् की विधानसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करती है।

मंत्रियों के उत्तरदायित्व

मंत्रियों के उत्तरदायित्व	
सामूहिक उत्तरदायित्व	अनुच्छेद 164 (2) स्पष्ट करता है कि मंत्रिपरिषद् का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होगा। यदि विधानसभा द्वारा मंत्रिपरिषद् के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद् को त्यागपत्र देना पड़ता है।

व्यक्तिगत उत्तरदायित्व	मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत कार्य करते हैं एवं राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर इनकी नियुक्ति होती है। मुख्यमंत्री से मतभेद की स्थिति में मुख्यमंत्री की सलाह पर संबंधित मंत्री को राज्यपाल बर्खास्त कर सकता है। अनुच्छेद 164 (1) के तहत राज्य स्तर पर मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राज्यपाल के प्रति है।
विधिक उत्तरदायित्व	कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है।

मंत्रिपरिषद् के प्रमुख कार्य-

- मंत्रिपरिषद् राज्य के प्रशासन के संचालन के लिये विभिन्न नीतियों का निर्माण करती है।
- मंत्रिपरिषद् राज्य की राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के लिये विकासकारी योजनाएँ बनाती है।
- मंत्रिपरिषद् विधि निर्माण के क्षेत्र में विधानमंडल का नेतृत्व करती है।
- बजट तैयार करना व स्वीकृत करना
- राज्यपाल का अभिभाषण तैयार करना
- कार्मिक प्रशासन पर नियंत्रण
- राजकीय कार्यपालिका का नियंत्रण राज्य के प्रशासन का संचालन (उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए राज्यपाल को परामर्श देना)

अभ्यास प्रश्न

1. राजस्थान में मंत्री परिषद् की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है ?

- राज्य के मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर है।
- राज्य के राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर है
- राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत तक।
- राजस्थान विधानपरिषद् की सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत तक।

उत्तर (C)

2. निम्नलिखित में से कौनसा कथन असत्य है ?

- राज्य मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी / जवाबदेही होती है।।
- मंत्रियों की नियुक्ति तथा उनको शपथ राज्यपाल दिलाता है।
- मंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा विधानमण्डल के किसी सदस्य होना आवश्यक है यदि नहीं भी है तो 6 माह के अन्दर सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है।
- संसदीय सचिव की नियुक्ति राज्यपाल करता है जबकि शपथ मुख्यमंत्री दिलाता है।

उत्तर (D)

अध्याय - 9

राज्य मानवाधिकार आयोग

- मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा -21 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग साविधिक / वैधानिक निकाय है।
- यह आयोग केवल राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों पर ही जाँच कर सकता है।
- यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या अन्य कोई विधिक निकाय किसी मामले पर पहले से ही जाँच कर रहा हो तो राज्य मानवाधिकार आयोग हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।
- वर्तमान में देश के 23 राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जा चुकी है।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग

- राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी, 1999 को जारी अध्यादेश द्वारा किया गया जिसने कार्य प्रारम्भ 23 मार्च, 2000 से किया मुख्यालय- जयपुर
- आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही हो।

आयोग का संगठन

- बहुसदस्यीय निकाय है।
- 1 अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते हैं। (गठन के समय 1999 में)
- 1 अध्यक्ष व 2 सदस्य (2006 में संशोधन के बाद)
- वर्तमान में अध्यक्ष गोपालकृष्ण व्यास तथा 2 सदस्य महेशचंद्र शर्मा, महेश गोयल हैं।
- योग्यता - अध्यक्ष पद हेतु** : उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश (वर्ष 2019 में संशोधन के बाद) को अध्यक्ष बनाया जा सकता है।
- सदस्यों हेतु योग्यता** : एक सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश या जिला न्यायालय का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश। एक सदस्य मानवाधिकारों के विशेषज्ञ।

आयोग में सदस्यों की नियुक्ति

- आयोग में सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा छः सदस्यीय समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है।
- इस समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है-
- समिति का पदेन अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है।
- राज्य मंत्रिमंडल सदस्य (गृहमंत्री)।
- विधानसभा अध्यक्ष।
- विधानसभा में विपक्ष का नेता।
- विधानपरिषद् सभापति। (यदि द्विसदनीय विधानमंडल है तो)
- विधानपरिषद् में विपक्ष का नेता। (यदि द्विसदनीय विधानमंडल है तो)

आयोग के सदस्यों को पद मुक्त करना

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को पद मुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, सर्वोच्च न्यायालय की जाँच के बाद
- अतः पदमुक्ति के निम्न आधार हो सकते हैं-
- सिद्ध कदाचार के आधार पर।
- सदस्य को दिवालिया घोषित कर दिया गया हो।
- सदस्य ने लाभकारी पद धारण कर लिया हो।
- वह मानसिक अथवा शारीरिक रूप से अक्षम हो।

आयोग सदस्यों व अध्यक्ष का कार्यकाल

कार्यकाल- वर्तमान में 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु इनमें से जो भी पहले हो (2019 के संशोधन के बाद, इससे पूर्व 5/70 वर्ष था)। 2019 के संशोधन के बाद प्रावधान किया गया कि अध्यक्ष व सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।

त्यागपत्र- अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं।

आयोग का कार्य

- यह एक सलाहकारी या परामर्शकारी निकाय है अर्थात् इसकी सलाह न तो राज्य सरकार और ही संबंधित अधिकारी पर बाध्यकारी है। लेकिन सरकार, आयोग को बतायेगी की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की।
- मानवाधिकारों के संदर्भ में संवैधानिक व कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना।
- गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करना ताकि वे उचित रूप से क्षेत्र में कार्य कर सकें।
- यह किसी भी संस्था या लोकसेवकों के विरुद्ध मानवाधिकार उल्लंघन मामले की जाँच कर सकता है **लेकिन दण्ड या सजा नहीं दे सकता है।**
- मानवाधिकारों के सम्बन्ध में शोध करना एवं शोध को बढ़ावा देना।
- मानवाधिकारों से सम्बंधित शिकायतों को सुनना।
- मानवाधिकारों की जानकारी का प्रसार करना तथा जागरूकता बढ़ाना।
- आयोग गम्भीर विषयों पर स्वविवेक से भी मामलों पर संज्ञा न लेता है।
- यह राज्य की कारागारों (जेलों) व बंदीगृहों की स्थिति का निरीक्षण कर सकता है व इस बारे में सिफारिश कर सकता है।

आयोग की शक्तियाँ

- समन जारी करने की शक्ति।
- शपथ पत्र अथवा हफलनामा मे पर लिखित गवाही लेने की शक्ति।
- गवाही को रिकॉर्ड करने की शक्ति।
- देश की विभिन्न जेलों का निरीक्षण करने की शक्ति।
- आयोग उन्ही मामलों में जाँच कर सकता है जिन्हें घटित हुए एक वर्ष से कम समय हुआ हो। एक वर्ष से पूर्व घटनाओं पर आयोग को कोई अधिकार नहीं है।

अध्याय - 13

महिला एवं बाल अपराध

- विश्व में समय - समय पर महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठती रही है। इनमें भारत भी शामिल है। भारत में महिलाएँ सामाजिक रीति - रिवाजों द्वारा शोषित और दमित होती रही हैं।
- इन अपराधों के निवारण में कमी एवं रोक हेतु विधान की आवश्यकता थी। इसलिए समय - समय पर भारतीय संसद ने महिलाओं से संबंधित विधि का निर्माण किया है। भारतीय संविधान में भी महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के पूर्ण प्रयास किए गए हैं।
- **हिंसा** - किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक आघात पहुँचाने के उद्देश्यों के लिए किये गए शक्ति के प्रयोग को हिंसा कहते हैं।
- **अपराध** - जान बूझ कर किया गया कोई भी ऐसा कार्य जो समाज विरोधी हो या किसी भी प्रकार से समाज द्वारा निर्धारित आचरण का उल्लंघन अथवा जिसके लिए दोषी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) के अंतर्गत विधि द्वारा निर्धारित सजा दिया जाता हो ऐसे काम अपराध कहलाते हैं।
- उपयुक्त परिभाषा के आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि हिंसा और अपराध दोनों का एक - दूसरे से सीधा संबंध रखते हैं। ऐसी कोई भी क्रिया - कलाप जिससे किसी व्यक्ति विशेष या समूह, समुदाय, समाज की भावनाएँ और स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े और व्यवस्थाओं में आवांछित प्रभाव पड़े, वे सभी हिंसा और अपराध के श्रेणी में रखे जायेंगे। अपराध को हम एक उदाहरण के तौर पर भी समझ सकते हैं -
- अपराध मनुष्य जाति के लिए जंगल में लगने वाली आग की तरह है, जिसे समय पर न रोका जाए तो आने वाले समय में यह विध्वंसकारी रूप धारण कर लेती है और यह समूचे मानव जाति के ऊपर एक प्रक्ष चिन्ह खड़ा कर सकती है।

महिला अपराधों से संबंधित अति महत्व विधि -

1. हिन्दू विधवाओं 'पुनर्विवाह अधिनियम, 1856
2. भारतीय दंड संहिता, 1860
3. भारतीय साक्ष्य, 1872 अधिनियम
4. भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872
5. 1882 संपत्ति अधिनियम का स्थानांतरण
6. रखवालों और वार्ड अधिनियम, 1890
7. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
8. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925
9. बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929
10. संपत्ति अधिनियम, हिंदू महिलाओं के अधिकार, 1937
11. पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936

<https://www.infusionnotes.com/>

12. मुस्लिम विवाह का विघटन, अधिनियम 1939
13. कारखाना अधिनियम, 1948
14. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
15. भारत का संविधान, 1950
16. खान अधिनियम, 1952
17. विशेष विवाह अधिनियम, 1954
18. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955
19. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 1956
20. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
21. हिंदू को गोद देने और भरण - पोषण अधिनियम, 1956
22. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956
23. दहेज निषेध अधिनियम, 1961
24. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961-1965
25. विदेश विवाह अधिनियम, 1969
26. गर्भावस्था अधिनियम की मेडिकल टर्मिनेशन, 1971
27. दंड प्रक्रिया संहिता, अधिनियम 1973
28. परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984
29. महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986
30. मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986
31. सती की आयोग (निवारण) अधिनियम, 1987
32. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
33. जाति अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989
34. महिला अधिनियम, के लिए राष्ट्रीय आयोग, 1990
35. मानव अधिकारों के संरक्षण अधिनियम, 1993
36. पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व Diagnostic तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध), 1994 के कानून
37. पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1996
38. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000
39. गर्भावस्था के विनियम के मेडिकल टर्मिनेशन, 2003
40. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
41. विधेयक के मसौदे "विवाह अधिनियम 2005 के अनिवार्य पंजीकरण"
42. वृद्धजन 'रख - रखाव, देख-भाल और संरक्षण विधेयक, 2005
43. महिलाओं का संरक्षण, अधिनियम 2005
44. घरेलू हिंसा कानून से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005
45. परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2005
46. निषेध का बाल विवाह अधिनियम , 2006
47. रख- रखाव और माता-पिता के कल्याण और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007

- गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 कानून में यह व्यवस्था की गई है कि केवल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में ही गर्भ समापन सेवाएँ प्राप्त की जा सकती हैं इन अस्पतालों में पूरी सुविधाएँ होने पर ही इन्हें इस कार्य के लिए अधिकृत किया जाता है।

अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956

- भारत में वैवाहिक संबंध के बाहर यौन संबंध को अच्छा नहीं समझा जाता है। वेश्यावृत्ति भी इसके अंतर्गत आता है। लेकिन वयस्कों के यौन संबंध को यदि वह जनशिक्षाचार के विपरीत न हो, कानून व्यक्तिगत मानता है। जो दंडनीय नहीं है।
- भारतीय दंड संहिता 1860 से वेश्यावृत्ति उन्मूलन विधेयक" 1956 तक सभी कानून सामान्यतया वेश्यालयों के कार्य व्यापार को संयत एवं नियंत्रित रखने तक ही प्रभावी रहे हैं।
- **वेश्यावृत्ति का अर्थ** - किसी भी स्त्री का आर्थिक लाभ के लिए लैंगिक शोषण करने को वेश्यावृत्ति कहते हैं।
- **वेश्यागृह का अर्थ** - किसी मकान, कमरे, वाहन एवं स्थान से या उसके किसी भाग से है, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए किसी का लैंगिक शोषण का दुरुपयोग किया जाए या दो या दो से अधिक महिलाओं के द्वारा अपने आपसी लाभ के लिए वेश्यावृत्ति की जाती है।
- इस अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति नाबालिग है। यह अधिनियम व्यवसायिक यौन उत्पीड़न (वेश्यावृत्ति) के उद्देश्यों से किये जाने वाले व्यापार की रोकथाम एवं इससे सुरक्षा प्रदान करता है। वेश्यावृत्ति करने या उसके लिए फुसलाने / याचना करने के सम्बन्ध में दोषी महिला को उसके मानसिक या शारीरिक स्थिति के आधार पर न्यायालय उसको सुधार संस्था में भी भेजने का आदेश दे सकती है।

अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत बाल एवं महिला विशेष निम्नलिखित कार्य अपराध हैं

1. अगर कोई व्यक्ति वेश्यागृह चलाता है, या उसका प्रबंध करता है या उसके रखने में और प्रबंध में मदद करता है तो उसको कम से कम व अधिक से अधिक से 3 वर्ष का कठोर कारावास और रूपए 2000 का जुर्माना दंडनीय होगा। अगर उस व्यक्ति को इस अपराध के लिए दोबारा दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम 2 वर्ष एवं अधिक से अधिक 5 वर्ष का कठोर कारावास और रूपए 2000 से दंडनीय होगा।
- अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे या नाबालिग द्वारा की गई वेश्यावृत्ति की आय पर रहता है तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 7 वर्ष व अधिक से अधिक 10 वर्ष की जेल हो सकती है।
- 18 साल से कम उम्र की लड़की को गैर कानूनी संभोग के लिए फुसलाना (धारा-366 - क) यदि कोई व्यक्ति किसी 16 साल से कम उम्र की लड़की को फुसलाता है,

किसी स्थल से जाने को या कोई कार्य करने को यह जानते हुए कि उसके साथ अन्य व्यक्ति द्वारा गैर कानूनी संभोग किया जाएगा या उसके लिए मजबूर किया जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की जेल और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

- विदेश से लड़की का आयात करना (धारा 366 - ख) - अगर कोई व्यक्ति किसी 21 साल से कम उम्र की लड़की को विदेश से या जम्मू कश्मीर से लाता है, यह जानते हुए कि उसके साथ गैर कानूनी संभोग किया जाएगा या उसके लिए मजबूर किया जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की जेल और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।
- वेश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चों को बेचना (धारा - 372) अगर कोई व्यक्ति किसी 18 साल से कम उम्र के बच्चे को वेश्यावृत्ति, या गैर कानूनी संभोग, या किसी कानून के विरुद्ध और दुराचारिक काम में लाए जाने या उपयोग किए गए जाने के लिए उसको बेचता है या भाड़े पर देता, तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की जेल और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है।
- यदि कोई व्यक्ति किसी 18 साल से कम उम्र की लड़की को किसी वेश्या या किसी व्यक्ति को, जो वेश्यागृह चलाता हो या उसका प्रबंध करता हो, बेचता है, भाड़े पर देता है तो यह माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए बेचा है, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए।
- वेश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चों को खरीदना (धारा 373) अगर कोई व्यक्ति किसी 18 साल से कम उम्र के बच्चे को वेश्यावृत्ति, या गैर कानूनी संभोग, या किसी कानून के विरुद्ध और दुराचारिक काम में लाए जाने या उपयोग किए जाने के लिए उसको खरीदता है या भाड़े पर देता है, वह
- 10 वर्ष जेल और जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है।
- इस अधिनियम के अंदर दिए गए सभी अपराध संज्ञेय हैं
- इस अधिनियम के अंदर दिए गए अपराध के दोषी व्यक्ति को विशेष पुलिस अधिकारी या उसके निर्देश के बिना, वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। मानव तस्करी (रोकथाम, सुरक्षा व पुनर्वास) बिल, 2018 महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा 18 जुलाई, 2018 को लोकसभा में यह बिल पेश हुआ जो 26 जुलाई, 2018 को एक सदन में पारित हो गया। एक सदन में पारित इस बिल में सभी तरीकों से तस्करी की जांच करने के लिए और तस्करी पीड़ितों के बचाव, सुरक्षा पुनर्वास के नियम स्थापित करने का प्रावधान है।

बालकों से सम्बंधित अपराध

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 -16 के अनुसार भारत में बच्चों के प्रति होने वाले अपराध जैसे बाल श्रम, बाल व्यापार, अपहरण, शारीरिक - मानसिक हिंसा, यौन शोषण, बलात्कार आदि के मामलों में लगभग दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। ये अपराध घर, स्कूलों, अनाथालयों, आवास गृहों, सड़क, कार्यस्थल, जेल, सुधार गृह आदि किसी जगह पर किसी

Dear Aspirants, here are the our results in differents exams

(Proof Video Link) ↓

RAS PRE. 2021 - <https://shorturl.at/qBJ18> (74 प्रश्न , 150 में से)

RAS Pre 2023 - <https://shorturl.at/tGHRT> (96 प्रश्न , 150 में से)

RAS Pre 2025 - <https://shorturl.at/Td2tN> (87 प्रश्न, 150 में से)

UP Police Constable 2024 - <http://surl.li/rbfyn> (98 प्रश्न , 150 में से)

Rajasthan CET Gradu. Level - <https://youtu.be/gPqDNlc6UR0>

Rajasthan CET 12th Level - <https://youtu.be/oCa-CoTFu4A>

RPSC EO / RO - <https://youtu.be/b9PKj14nSxE>

VDO PRE. - <https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856Wl8&t=202s>

Patwari - <https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s>

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD - 2021 - <https://youtu.be/2gzzfJyt6vl>

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या
MPPSC Prelims 2023	17 दिसम्बर	63 प्रश्न (100 में से)
RAS PRE. 2021	27 अक्टूबर	74 प्रश्न आये
RAS Mains 2021	October 2021	52% प्रश्न आये
RAS Pre. 2023	01 अक्टूबर 2023	96 प्रश्न (150 में से)

whatsapp - <https://wa.link/bdirzx> 1 web.- <https://shorturl.at/xceN2>





RAS Pre. 2025	02 फरवरी 2025	87 प्रश्न (150 में से)
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)
SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
RPSC EO/RO	14 मई (1st Shift)	95 (120 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्टूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्टूबर (2 nd शिफ्ट)	103 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्टूबर (2 nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसम्बर (1 st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसम्बर (2 nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसम्बर (2 nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1 st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21 नवम्बर 2021 (1 st शिफ्ट)	89 (160 में से)
Raj. CET Graduation level	07 January 2023 (1 st शिफ्ट)	96 (150 में से)
Raj. CET 12th level	04 February 2023 (1 st शिफ्ट)	98 (150 में से)
UP Police Constable	17 February 2024 (1 st शिफ्ट)	98 (150 में से)

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.



whatsapp - <https://wa.link/bdirxz> 2 web.- <https://shorturl.at/xceN2>




Our Selected Students

Approx. 596 + students selected in different exams. Some of them are given below -

Photo	Name	Exam	Roll no.	City
	Mohan Sharma S/O Kallu Ram	Railway Group - d	11419512037002 2	PratapNag ar Jaipur
	Mahaveer singh	Reet Level- 1	1233893	Sardarpura Jodhpur
	Sonu Kumar Prajapati S/O Hammer shing prajapati	SSC CHSL tier- 1	2006018079	Teh.- DO Biramganj, Dis.- Raisen, MP
N.A	Mahender Singh	EO RO (81 Marks)	N.A.	teh nohar , dist Hanumang arh
	Lal singh	EO RO (88 Marks)	13373780	Hanumang arh
N.A	Mangilal Siyag	SSC MTS	N.A.	ramsar, bikaner

	MONU S/O KAMTA PRASAD	SSC MTS	3009078841	kaushambi (UP)
	Mukesh ji	RAS Pre	1562775	newai tonk
	Govind Singh S/O Sajjan Singh	RAS	1698443	UDAIPUR
	Govinda Jangir	RAS	1231450	Hanumang arh
N.A	Rohit sharma s/o shree Radhe Shyam sharma	RAS	N.A.	Churu
	DEEPAK SINGH	RAS	N.A.	Sirsi Road , Panchyawa la
N.A	LUCKY SALIWAL s/o GOPALLAL SALIWAL	RAS	N.A.	AKLERA , JHALAWAR
N.A	Ramchandra Pediwal	RAS	N.A.	diegana , Nagaur

	Monika jangir	RAS	N.A.	jhunjhunu
	Mahaveer	RAS	1616428	village- gudaram singh, teshil-sojat
N.A	OM PARKSH	RAS	N.A.	Teshil- mundwa Dis- Nagaur
N.A	Sikha Yadav	High court LDC	N.A.	Dis- Bundi
	Bhanu Pratap Patel s/o bansi lal patel	Rac batalian	729141135	Dis.- Bhilwara
N.A	mukesh kumar bairwa s/o ram avtar	3rd grade reet level 1	1266657	JHUNJHUN U
N.A	Rinku	EO/RO (105 Marks)	N.A.	District: Baran
N.A.	Rupnarayan Gurjar	EO/RO (103 Marks)	N.A.	sojat road pali
	Govind	SSB	4612039613	jhalawad

	Jagdish Jogi	EO/RO Marks) (84	N.A.	tehsil bhinmal, jhalore.
	Vidhya dadhich	RAS Pre.	1158256	kota
	Sanjay	Haryana PCS	96379 	Jind (Haryana)

And many others.....

Click on the below link to purchase notes 

WhatsApp करें - <https://wa.link/bdirzx>

Online Order करें - <https://shorturl.at/xceN2>

Call करें - **9887809083**